

अभिरूचि की अभिव्यक्ति: रा.आ.बैंक/आरएमडी/ईओआई/01/2018-19: राष्ट्रीय आवास बैंक

ईओआई संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक/आरएमडी/ईओआई/01/2018-19

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)-

मौजूदा रेटिंग मॉडलों की समीक्षा एवं उन्नयन तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं अन्य नई इकाईयों हेतु रेटिंग मॉडल विकसित करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति

जोखिम प्रबंधन विभाग  
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110 003  
दूरभाष: 011-39187185, 011-39187104  
ई-मेल [naveen.chaudhary@nhb.org.in](mailto:naveen.chaudhary@nhb.org.in), [sourav.seal@nhb.org.in](mailto:sourav.seal@nhb.org.in)

## 1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	ईओआई दस्तावेज उपलब्ध होने/अपलोड होने की तिथि	09.08.2018
2.	ईओआई की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	06.09.2018 शाम 6:00 बजे
3.	ईओआई बोली खोलने की तिथि एवं समय	07.09.2018 शाम 04:00 बजे
4.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक , जोखिम प्रबंधन विभाग मुख्यालय कोर 5-ए , तृतीय से पंचम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

**Note: -**

- केवल नामित संपर्क कर्मी को ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से किसी परिवर्तन की सूचना प्रदान की जाएगी।

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक या बैंक), भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।

- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतीत करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलूरू, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है।

ग. आवास क्षेत्र हेतु संसाधनों को बढ़ाने एवं आवास हेतु निधियों की पहुंच के क्रम में, रा.आ.बैंक ने उन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को दीर्घावधि निधि उपलब्ध करता है जो भारत में आवास वित्त क्षेत्र में सक्रिय हैं। पीएलआई मकानों की खरीद/निर्माण, मरम्मत/उन्नयन हेतु उधारकर्ताओं, बिल्डरों, कॉर्पोरेट घरानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। रा.आ.बैंक पीएलआई द्वारा प्रदान ऋण के संबंध में पुनर्वित्त ब्रदान करता है।

घ. बैंक का मुख्य एक्सपोजर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है। बैंक का परियोजना वित्त एवं एसीएचएफएस में भी छोटा एक्सपोजर है।

ड. रा.आ.बैंक में ऐसे वित्त पोषण हेतु उनकी पात्रता पर विभिन्न श्रेणी के पीएलआई के मूल्यांकन हेतु क्रेडिट रेटिंग मॉडल हैं। बैंक द्वारा वर्तमान में नीचे दिए संस्थानों हेतु मॉडल उपयोग में लाए जा रहे हैं:

- i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii. शहरी सहकारी बैंक
- iv. आवास वित्त कंपनियां
- v. शीर्षस्थ सहकारी आवास संघ
- vi. परियोजना वित्त:
  - सार्वजनिक एजेंसी जोखिम आकलन ढांचा
  - निजी एजेंसी जोखिम आकलन ढांचा

- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी जोखिम आकलन ढांचा
- सूक्ष्म वित्त संस्थान जोखिम आकलन ढांचा

च. वर्तमान में रा.आ.बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) हेतु क्रेडिट रेटिंग मॉडल नहीं हैं। भविष्य में एसएफबी को ऋण प्रदान करने में सक्षमता हेतु बैंक ने एसएफबी एवं कोई अन्य संस्था जो भविष्य में उभर सकते हैं उनके लिए बैंक ने एक रेटिंग मॉडल विकसित करने की योजना बनाई है।

### 3. उद्देश्य:

ईओआई का उद्देश्य रा.आ.बैंक के मौजूदा क्रेडिट रेटिंग मॉडलों की समीक्षा करना एवं उन्नयन करना एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों एवं कोई अन्य संस्था जो भविष्य में स्थापित हो सकते हैं उनके लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग मॉडल विकसित करना है।

ईओआई का उद्देश्य है:

- क. रा.आ.बैंक के मौजूदा क्रेडिट रेटिंग मॉडलों का विस्तार एवं उन्नयन करना एवं क्रेडिट जोखिम के एकीकृत, दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाने वाली उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना।
- ख. स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतु क्रेडिट रेटिंग मॉडल विकसित करना जो उनके विनियामक जरूरतों/दिशा-निर्देशों के अनुसार हो और एसएफबी से संबंधित अनोखे मानदंडों/विशेषताओं पर आधारित हो।
- ग. किसी अन्य संस्था जो भविष्य में स्थापित हो सकती हैं उनके लिए क्रेडिट रेटिंग मॉडल विकसित करना।

### 4. कार्य क्षेत्र :

कार्यक्षेत्र में शामिल होंगे:

- क. मौजूदा क्रेडिट रेटिंग मॉडलों की समीक्षा करना। इस कार्य में रा.आ.बैंक के पास उपलब्ध डाटा के आधार पर गुणात्मक के साथ-साथ मात्रात्मक विश्लेषण भी शामिल होगा।
- ख. मॉडल सत्यापन कार्य करना।
- ग. मात्रात्मक मॉडल सत्यापन में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

- भेदभावपूर्ण शक्ति परीक्षण
  - स्थायित्व परीक्षण
  - रेटिंग ग्रेड में एकाग्रता के लिए पठन स्तर
  - बाहरी रेटिंग के साथ बेंचमार्क
  - रेटिंग मॉडल दक्षता के माप हेतु मॉडल सत्यापन के भाग के रूप में गिन्नी गुणांक एवं केनडल ताउ सहसंबंध विश्लेषण किया जाएगा।
- घ. योग्यता सत्यापन में मॉडल शासन, मॉडल डिजाइन, मॉडल बिल्ड तकनीक और प्रक्रिया की समीक्षा, कवर किए गए पोर्टफोलियो के संबंध में मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए गए डेटा की प्रासंगिकता, मॉडल में उपयोग किए जाने वाले जोखिम कारकों के चयन के आधार शामिल होगी।
- ड. विश्लेषण के बाद मौजूदा मॉडल में सुधार के लिए सिफारिशें और इसके ठीक ट्यूनिंग और मौजूदा रेटिंग मॉडल और ढांचे में इसका समावेशन भी किया जाएगा।
- च. स्मॉल फाइनेंस बैंकों की रेटिंग हेतु रेटिंग मैनुअल के साथ क्रेडिट रेटिंग मॉडल का विकास।
- छ. कोई अन्य संस्था जो भविष्य में स्थापित हो सकते हैं उनके लिए रेटिंग मैनुअल के साथ क्रेडिट रेटिंग मॉडल का विकास।
- ज. इसके अतिरिक्त, बैंक को प्रत्येक मॉडल के वार्षिक समीक्षा की भी जरूरत है जो अगले पांच वर्षों के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा की जाएगी।

## 5. प्रदेय :

उपरोक्त अभ्यास के प्रदेय में शामिल होना चाहिए:

- क. रेटिंग समिति को मॉडल में शामिल करने के लिए व्यापक मानकों के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए रेटिंग पद्धति पर प्रस्तुति। मॉडल विकास कार्य प्रस्तुति के दौरान रेटिंग समिति से प्राप्त इनपुट पर भी विचार किया जाएगा।
- ख. मॉडल की भविष्यवाणी स्टीकता को बेहतर करने हेतु मात्रात्मक मानकों में बदलाव, यदि कोई हो, पर अनुसंशाओं के समावेशन और मॉडल की भविष्यवाणी एवं सटीकता में सुधार हेतु गुणात्मक मानकों में बदलावों पर, यदि कोई हो, अनुसंशाओं के समावेशन सहित सत्यापित रेटिंग मॉडलों हेतु सत्यापन रिपोर्ट।

- ग. रेटिंग समिति को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रस्तुति।
- घ. रेटिंग समिति को प्रस्तुतीकरण के बाद मौजूदा रेटिंग मॉडल में सुझावों का समावेश।
- ङ. परामर्शदाता को संशोधित मॉडल में प्रत्येक श्रेणी के तीन पीएलआई के लिए रेटिंग कार्य करना होगा और मामलों को रेटिंग समिति को पेश करना होगा।
- च. विस्तृत रेटिंग मैनुअल के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए नए क्रेडिट रेटिंग मॉडल का विकास।
- छ. नए मॉडल में तीन से चार नमूना रेटिंग करके एसएफबी के रेटिंग मॉडल का परीक्षण। रेटिंग को बैंक की रेटिंग समिति को प्रस्तुत करना होगा।
- ज. भविष्य में किसी भी नई संस्थाओं के लिए नए क्रेडिट रेटिंग मॉडल का विकास और परीक्षण।
- झ. अगले पांच वर्षों के लिए सालाना रेटिंग मॉडल का सत्यापन।

वेंडर प्रणाली को समझने के लिए कार्य के समय के दौरान रा.आ.बैंक के कार्यालय पर जा सकते हैं।

## 6. परियोजना की समय-सीमा:

पैरा 4 और 5 में काम के दायरे और डिलिवरेबल्स के दायरे में निर्दिष्ट पूरी परियोजना को आवश्यकता अध्ययन पूरा होने की तारीख से 04 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। हालांकि, एनएचबी अपने विवेकाधिकार पर उस अवधि के विस्तार पर विचार कर सकता है, जो घटना / परिस्थितियों की संतुष्टि के अधीन है, जो वास्तव में ऐसी देरी के कारण हुई है।

## 7. बोलीदाताओं को अनुदेश

### 7.1 सामान्य :-

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- अनुबंधात्मक करार का निष्पादन होने तक बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व समग्रता समझौते के अलावा किसी भी बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा। सफल बोलीदाता की पहचान, बोलियों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन के बाद, समग्रता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित करार का भाग होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, प्रस्तुत बोली के संबंध में कथित संविदा-पूर्व समग्रता

समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किया गया कार्य/गलती के लिए उन पर संविदा-पूर्व समग्रता समझौता बाध्यकारी होगा।

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संपूर्ण अधिकार में पात्र परामर्शदाता को शॉर्ट लिस्ट करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्दिष्ट चयन मापदंड को लागू कर सकता है।
- इस ईओआई का प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस ईओआई की शर्तें व अस्वीकरण स्वीकार हैं।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस ईओआई से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

संपर्क व्यक्ति:	नवीन चौधरी ई-मेल आईडी: <a href="mailto:naveen.chaudhary@nhb.org.in">naveen.chaudhary@nhb.org.in</a> . दूरभाष: 011-39187185. सौरव सील ई-मेल आईडी: <a href="mailto:Sourav.seal@nhb.org.in">Sourav.seal@nhb.org.in</a> दूरभाष: 011-39187104.
-----------------	--

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर ईओआई/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईओआई हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व सोमवार से शुक्रवार, अवकाश को छोड़कर,

प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के समक्ष उठाया जा सकता है।

- बोलीदाता भारत में किसी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने ईओआई के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

## 7.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

ईओआई दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

## 7.3 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के ईओआई दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ईओआई में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या ईओआई प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

## 7.4 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार ईओआई के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले

सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी एवं हिंदी में लिखी जाएगी।

#### 7.5 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक समय-समय पर, इस ईओआई में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/ स्थानों को जोड़ने/ हटाने का अधिकार भी रखता है।

#### 7.6 ईओआई दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो कृपया उनका पालन करें)

1. में प्रारूप में संविदा-पूर्व समग्रता समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व समग्रता समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा।) उन बोलीदाताओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो हमारे आरएफपी के प्रत्युत्तर में बोली जमा करने हेतु चयनित होंगे जो केवल चयनित बोलीदाताओं को प्रदान किया जाएगा।

#### 7.7 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र. सं.	मौजूदा रेटिंग मॉडलों की समीक्षा एवं उन्नयन तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं अन्य नई इकाईयों हेतु रेटिंग मॉडल विकसित करने हेतु ईओआई	वितरण अनुसूची (कार्य आदेश/अवार्ड पत्र को स्वीकार करने की तिथि से)
1.	अपेक्षित अध्ययन- चयनित वेंडर को कार्य आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रा.आ.बैंक दिल्ली में तकनीकी बोली दस्तावेज में	15 दिन

	प्रस्तावित टीम के अनुसार अपने अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। अपेक्षित अध्ययन अवधि इस परियोजना के लिए 03 महीने की अनुबंध अवधि से अलग है और संविदा अवधि अपेक्षित अध्ययन अवधि के पूर्ण होने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी।  इस अवधि के दौरान परामर्शदाता को रेटिंग समिति के विचार हेतु व्यापक मानकों के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए अपनाई जाने वाली रेटिंग पद्धति पर एक प्रस्तुति भी देनी होगी।	
2.	मौजूदा रेटिंग मॉडलों की समीक्षा एवं उन्नयन तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतु रेटिंग मॉडल विकसित करना।	30 दिन
3.	रेटिंग समिति को प्रस्तावित बदलावों पर अनुशंसाओं के साथ मौजूदा रेटिंग मॉडल और स्मॉल फाइनेंस बैंकों हेतु रेटिंग मॉडलों/पद्धतियों के सत्यापन कार्य के निष्कर्षों पर प्रस्तुतीकरण।	15 दिन
4.	सुझाव / परिवर्तन (रेटिंग कमेटी को प्रस्तुतीकरण के बाद) शामिल करना और प्रत्येक श्रेणी के तीन पीएलआई के लिए नमूना रेटिंग करना।	15 दिन
5.	नए रेटिंग मॉडल का प्रायोगिक रन	30 दिन
6.	रेटिंग कमेटी के लिए रेटिंग की प्रस्तुति	3 दिन
7.	लाइव कार्यान्वयन	12 दिन

#### 7.8 ईओआई की मुहरबंदी और चिह्नांकन

- रा.आ. बैंक के नीचे दिए गए पते पर लिफाफा संबोधित किया जाएगा:  
उप महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय से पंचम तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110003
- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ पता और नाम इंगित किया जाना चाहिए।

- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर जैसा प्रयोज्य हो, “मौजूदा रेटिंग मॉडलों की समीक्षा एवं उन्नयन तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक/अन्य कोई नई संस्था हेतु रेटिंग मॉडल विकसित करने हेतु ईओआई बोली।” लिखा जाना चाहिए।

#### 7.9 ईओआई प्रस्तुत करने की समय-सीमा

- राष्ट्रीय आवास बैंक को ईओआई प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि से पहले उपर्युक्त निर्दिष्ट पते पर ईओआई प्राप्त हो जानी चाहिए।
- ईओआई प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने पर, ईओआई अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा से बाद की समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

#### 7.10 विलंबित ईओआई

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित ईओआई प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी ईओआई को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

#### 7.11 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, रा.आ. बैंक समिति द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड नई दिल्ली –110003

### 7.12 ईओआई का स्पष्टीकरण

ईओआई के मूल्यांकन के दौरान, रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, बोलीदाता से उनकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) में होगा और बोली के सार में किसी परिवर्तन की मांग, प्रस्ताव या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 7.13 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक ईओआई बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात / दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यतः क्रम में हैं।
- रा.आ. बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बोली में किसी भी मामूली अस्थिरता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो किसी सामग्री विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता के रिश्तेदार के पद को विघात या प्रभावित नहीं करती है।  
रा.आ. बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

### 7.14 प्रस्ताव स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत न हो कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट करें।

### 7.15 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता तृतीय पक्ष को रा.आ. बैंक की दिशा पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत शिकायत में केवल अपनी ही सेवा / समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा।

### 7.16 सहायक सेवाओं की यथासमय उपलब्धता

परामर्शदाता के पास इस परियोजना के तहत अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करने हेतु नई दिल्ली-एनसीआर में उपयुक्त एवं पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

### 7.17 मैनुअल/ड्राइंग

परामर्शदाता संविदा की अवधि के दौरान सप्लाई की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेजीकरण प्रदान करेगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होंगे और उसमें सप्लाई की गई सेवाओं स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए।

### 7.18 संशोधन एवं आहरण

- बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/ कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

### 7.19 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि इस डूओआई हेतु प्रयोज्य संविदा के निबंधन व शर्तें बोलीदाताओं को स्वीकार्य न हो, तो अनुलग्नक IV के अनुसार उन परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता को स्पष्ट तौर पर यह भी वर्णित करना होगा किस संबंध में और सेवा एवं उपकरण किस हद तक विनिर्देश एवं जरूरतों में दिए गए विनिर्देशों से भिन्न/अलग हैं।

### 7.20 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

#### 7.21 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से संविदा प्रदान होने तक इस बोली से संबंधित किसी भी मामले पर रा.आ.बैंक या इसके परामर्शदाताओं के सार्थ संपर्क करना मना है। बोलीदाता की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करने पर बोली निरस्त किया जा सकता है।

#### 7.22 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता का सूचक और उसी के लिए बोलीदाता के हित के रूप में देखी जाएगी।

#### 7.23 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं दी गई है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी रूप में रद्द कर दिया जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

#### 7.24 कानूनों का अनुपालन

क) परामर्शदाता/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके कारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- ख) परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 7.25 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि परामर्शदाता के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- (a) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (b) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (c) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर-उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा

किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि ईओआई में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

## 7.26 गलत/अधूरा कथन

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई कथन/घोषणा, निविदा/ बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण या संविदा के किसी भी चरण में बोली/ निविदा स्वीकार होने पर गलत या अधूरा या निविदा कार्य से संबंधित कोई जानकारी रोकना साबित होता है तो उनकी बोली/ निविदा/ संविदा को निम्नलिखित के अतिरिक्त में निरस्त कर दिया जाएगा

## 8. पूर्व योग्यता मानदंड:

- बोलीदाता कंपनी / फर्म या उसके मूल संगठन जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं के कारोबार में शामिल होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों के लिए क्रेडिट रेटिंग मॉड्यूल विकसित कर रहे हों।
- बोलीदाता कंपनी / फर्म ने भारत में कम से कम 5 बीएफएसआई को क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग मॉडल / कंसल्टेंसी प्रदान की हो। चाहिए थी।
- कंपनी / फर्म या उसके मूल संगठन के पास निम्न में से कोई भी योग्यता रखने वाले कम से कम 25 जोखिम प्रबंधन पेशेवर होना चाहिए:

सीएफए / आईसीडब्ल्यू / सीए / एफआरएम / एमबीए।

बोलीदाता को प्रत्येक योग्यता मानदंड को पूरा करने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना होगा।

### 8.1 स्वीकृति

स्वीकृति परीक्षण स्वीकृति परीक्षण योजना [एटीपी] के अनुसार किया जाएगा, जो जारी किया जाएगा। स्वीकृति परीक्षण के अनुसार स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद ही समाधान स्वीकार किया जाएगा और रा.आ.बैंक और परामर्शदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित / प्रमाणित किया जाएगा। \*

(\*यदि लागू न हो तो हटाया जा सकता है)

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – **What's New**

## अनुलग्नक

**बोलीदाता जानकारी**

कृपया कंपनी के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें):

क्र.सं.	सूचना	विवरण / प्रतिक्रिया
1.	कंपनी का नाम	
2.	निगमन की तारीख	
3.	कंपनी का प्रकार [सरकारी / पीएसयू / सार्व. लिमिटेड / प्राइ. लिमिटेड / भागीदारी / मालिकाना]	
4.	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख। <b>पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है</b>	
5.	संपर्क संख्या के साथ पंजीकृत कार्यालय का पता [फोन / फैक्स]	
6.	पैन संख्या	
7.	एनएचबी को प्रतिबद्धताओं के लिए अधिकृत बोलीदाता का संपर्क विवरण	
8.	नाम	
9.	पदनाम	
10.	फैक्स नंबर	
11.	मेल आईडी	
12.	कंपनी के प्रमुख कार्यालय और पते संपर्क व्यक्ति फ़ोन फैक्स ईमेल वेबसाइट	
13.	यह बताएं कि क्या बोलीदाता ने इस ईओआई में परिभाषित अनुसार दायरे पर ध्यान केंद्रित करने वाली सेवाएं प्रदान की हैं	हां / नहीं / टिप्पणियां (यदि विकल्प 'नहीं' है)

14.	कोई लंबित या पिछले मुकदमा (तीन वर्षों के भीतर)? यदि हां, तो कृपया जानकारी दें पिछले तीन वर्षों में प्राप्त दावों और शिकायतों के विवरण का भी उल्लेख करें (कंपनी द्वारा प्रदान की गई कंपनी / सेवाओं के बारे में)।	हां / नहीं / टिप्पणियां (यदि विकल्प 'हां' है) (यदि विकल्प 'हां' तो बोलीदाता पर विचार नहीं किया जा सकता है)		
15.	कृपया पिछले तीन सालों से कारोबार और शुद्ध लाभ / हानि का जिक्र करें और इसके समर्थन में बैलेंस शीट की प्रतियां शामिल करें।	वर्ष	टर्नओवर	शुद्ध लाभ / हानि (-)

पिछले 3 वर्षों के तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा के लेखा परीक्षित / सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

तारीख:

बोलीदाता अनुभव विवरण

1.	रेटिंग मॉडल की समीक्षा / उन्नयन / विकास के क्षेत्र में परामर्श प्रदान करने में बोलीदाता का अनुभव (वर्षों में)			
	क) भारत में अनुभव			
	ख) वैश्विक अनुभव			
2.	क्या परामर्शदाता ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मॉडल विकसित किया है? यदि हां, तो परियोजना का विवरण प्रदान करें।			
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / एफआई / भारत सरकार मंत्रालय के साथ निष्पादित रेटिंग मॉडल की समीक्षा / उन्नयन / विकास पर न्यूनतम तीन सेवा अनुबंधों का विवरण।			
4.		ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी	सक्रिय / समय सीमा समाप्त	संविदा अवधि (से लेकर तारीख तक)
5.	परियोजना 1			
6.	परियोजना 2			
7.	परियोजना 3			
8.	समीक्षा मॉडलों की समीक्षा / उन्नयन / विकास के लिए निष्पादित सेवा अनुबंधों की कुल संख्या			
9.	सेवा मानक			
10.	नियोजित योग्य कर्मियों की संख्या			
11.	भारत में परिचालन कार्यालयों की संख्या			
12.	संदर्भ ग्राहक की साइट का विवरण			
	संदर्भ साइट 1			
	संदर्भ साइट 2			
13.	एनसीआर में ऑपरेटिंग कार्यालय।			

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

तारीख:

अनुपालन वक्तव्य घोषणा

हम इस ईओआई दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए इस तरह से सहमत हैं और सहमत हैं, जिसमें सभी व्यय, शुभकामनाएं इत्यादि शामिल हैं। किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप बोलियों के अयोग्यता हो सकती है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

तारीख:

विचलन की सूची

हम प्रमाणित करते हैं कि निविदा के लिए हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित विचलनों के साथ इस ईओआई दस्तावेज़ के अनुसार निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति करता है।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रारूपों में मुहर और हस्ताक्षर के साथ सभी विचलन, टिप्पणियां और अवलोकन या सुझावों का विवरण प्रदान करें। आपको पृष्ठ संख्या का संदर्भ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, स्पष्टीकरण बिंदु और टिप्पणी / सुझाव / विचलन जो आप नीचे दिखाए गए अनुसार प्रस्तावित करते हैं।

रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार सभी या किसी भी विचलन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि रा.आ.बैंक द्वारा किसी भी विचलन की स्वीकृति या अस्वीकृति बोलीदाता को संशोधित बोली जमा करने का अधिकार नहीं देगी।

विचलन की सूची

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

(यदि खाली छोड़ दिया गया है तो यह माना जाएगा कि ऊपर दिए गए विनिर्देशों से कोई विचलन नहीं है)  
(एनएचबी का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन की दिशा में अंतिम है)

**प्राधिकृत हस्ताक्षरी**

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

तारीख:

क्षमता प्रारूप का पत्र

[तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करने के लिए]

[गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना]

रा.आ.बैंक के ईओआई नंबर / ..... पर उद्धरण के लिए योग्यता पत्र

यह प्रमाणित करता है कि हम \_\_\_\_\_ [बोलीदाता का नाम डालें], पता \_\_\_\_\_ उपरोक्त ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित सेवाओं के दायरे को सफलतापूर्वक पूरा करने और सफलतापूर्वक वितरित करने के लिए सक्षम हैं। यह प्रस्ताव परियोजना के उद्देश्यों और अनुभव, कौशल इत्यादि जैसी आवश्यकताओं को पूरी तरह समझने के बाद किया जा रहा है।

हम प्रमाणित करते हैं कि उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा तैनात किए जाने वाले संसाधनों की गुणवत्ता और संख्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी और सेवाएं पेशेवर और सक्षम रूप से प्रदान की जाएंगी।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस ईओआई दस्तावेज के जवाब में दी गई सभी जानकारी सही है।

**प्राधिकृत हस्ताक्षरी**

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

तारीख:

मुख्य कार्मिक की बायोडाटा(सीवी)

जहां पूरा विवरण प्रदान किया जाएगा वहां अंक दिए जाएंगे। यह अनिवार्य है कि बोलीदाता निविदा के दायरे से संबंधित प्रस्तावित संसाधनों में से प्रत्येक के लिए आवंटित परियोजना का विवरण, असाइनमेंट का संक्षिप्त विवरण प्रदान करे। तैनात प्रत्येक संसाधन निविदा क्षेत्र के प्रासंगिक अनुभव को इंगित करने वाले आत्म-प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

प्रारूप

1) प्रस्तावित स्थिति [प्रत्येक स्थिति विशेषज्ञ के लिए केवल एक उम्मीदवार नामित किया जाएगा]:

2) संसाधन का नाम:

3) राष्ट्रीयता:

4) जन्म तिथि

5) शैक्षिक योग्यता:

[कॉलेज / विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के सदस्य की अन्य विशेष शिक्षा, संस्थानों के नाम, डिग्री प्राप्त, और प्राप्ति की तिथियां बताएं]:

6) प्रमाणन और प्रशिक्षण में भाग लिया:

7) अनुभव का वर्षों की संख्या

8) फर्म के साथ वर्षों की कुल संख्या

9) विशेषज्ञता के क्षेत्र और इस क्षेत्र में अनुभव के वर्षों (जैसा प्रोफ़ाइल के लिए जरूरी है - अनिवार्य):

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना पर दिए गए वर्ष एवं अवधि	परियोजना का संक्षेप	इस ईओआई दस्तावेज़ (अनुभाग विवरण) के कार्य क्षेत्र के लिए परियोजना प्रासंगिकता	परियोजना ग्राहक का नाम, संपर्क विवरण और पता

- 1) **भाषाएं** [प्रत्येक भाषा के लिए प्रवीणता का संकेत प्रदान करें: बोलने, पढ़ने और लिखने में अच्छा, ठीक या कमजोर]:
- 2) **व्यावसायिक संघों की सदस्यता:**
- 3) **रोजगार रिकॉर्ड** [वर्तमान स्थिति से शुरू करते हुए और अंतिम 2 फर्मों, रिवर्स ऑर्डर में सूचीबद्ध, प्रत्येक रोजगार के लिए (नीचे प्रारूप देखें): रोजगार की तिथियां, नियोजित संगठन का नाम, पदों पर आधारित।]:

से (वर्ष): :तक (वर्ष) क्रेता:

- 4) धारित पदें:

सौंपे गए कार्य का ब्यौरा	<p>प्रासंगिक कार्य वचनपत्र जो इस भूमिका हेतु अपेक्षित अनुभव को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता हो (प्रत्येक 10 लाइनों के अधिकतम 6 उद्धरण प्रदान करें)</p> <p>(जिन कार्यों में कर्मचारी शामिल हैं, उनमें से उन असाइनमेंट्स के लिए निम्न जानकारी इंगित करें जो बिंदु 14 के तहत सूचीबद्ध कार्यों को संभालने के लिए कर्मचारियों की क्षमता को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करते हैं और जैसा कि "सूची में सूचीबद्ध भूमिका के लिए आवश्यक है प्रमुख पेशेवर पद जिनके सीवी और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा ")</p> <p>असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का नाम: वर्ष:</p> <p>स्थान: खरीदार:</p> <p>मुख्य परियोजना विशेषताएं: धारित पद:</p> <p>परियोजना का मूल्य (अनुमानित मूल्य या सीमा मूल्य):</p> <p>की गई गतिविधियां:</p>
--------------------------	--

5) प्रमाणन:

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, यह सीवी सही ढंग से स्वयं, मेरी योग्यता और मेरे अनुभव का वर्णन करता है। मैं समझता हूं कि यहां वर्णित किसी भी जानबूझकर गलत वक्तव्य यदि लगा हो तो उस कार्य से मेरे अयोग्यता या बर्खास्तगी का कारण हो सकता है।

तारीख:

(कर्मचारियों के सदस्य या कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम:

संविदा-पूर्व कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध  
(निर्धारित सीमा के आधार पर प्राप्त करें)  
(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में निष्पादित करें)

यह बोली-पूर्व/संविदा-पूर्व संविदा करार (इसके पश्चात 'यह कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध' कहा जाए) प्रथम पक्ष राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अधीन स्थपित बैंक, जिसका कार्यालय कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री/मैसर्स..... (पद) (इसके पश्चात 'एलएचबी' कहा जाए, जिसके वाक्यांश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, कार्यालय एवं कार्य में इसका उत्तराधिकारी है, शामिल है)

एवं

द्वितीय पक्ष मैसर्स \_\_\_\_\_ जिसका प्रतिनिधित्व श्री....., मुख्य कार्यपालक अधिकारी (इसके पश्चात 'बोलीदाता' कहा जाए, जिसके वाक्यांश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, कार्यालय एवं कार्य में इसका उत्तराधिकारी व जिसे कार्य की अनुमति दी गयी है, शामिल है) के बीच हुआ है।

(प्रथम पक्ष एवं दूसरे पक्ष को इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'पक्षों' के तौर पर एवं अलग-अलग रूप से 'पक्ष' के तौर पर संदर्भित किए जाते हैं।)

जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी सं. \_\_\_\_\_ ('आरएफपी') में उल्लिखित (मदों/सेवाओं का नाम) \_\_\_\_\_ की खरीद का प्रस्ताव करता है एवं बोलीदाता इस आरएफपी के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वांछित (मदों/सेवाओं का नाम) \_\_\_\_\_ प्रस्तुत करने का इच्छुक है/प्रस्तुत की है;

जबकि बोलीदाता इस विषय में सुसंगत कानून के अनुसार गठित प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदार/पंजीकृत निर्यात अभिकरण है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय है;

जबकि प्रणाली जो निम्नलिखित विचार के साथ संपन्न होने वाली संविदा की वैधता अवधि से पूर्व, के दौरान एवं उसके पश्चात होने वाले संव्यवहार में निष्पक्ष है, पारदर्शी है एवं किसी प्रभाव/पक्षपात से मुक्त है, का पालन करते हुए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए:-

- (i) राष्ट्रीय आवास बैंक को उच्च लागत एवं सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचाते हुए परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी कीमत पर वांछित उक्त भंडार/उपस्कर/सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाना एवं
- (ii) बोलीदाता को यह आश्वासन देते हुए संविदा हासिल करने के उद्देश्य से घूस देने अथवा कोई भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से दूर रखने में समर्थ बनाना कि उनके प्रतिस्पर्धी भी घूस देने एवं अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे एवं राष्ट्रीय आवास बैंक पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने अधिकारियों को किसी रूप में भ्रष्टाचार करने रोकेगा।

एवं जबकि पक्ष इस बात से एवं एतद् द्वारा इसके पश्चात उल्लिखित निबंधन व शर्तों पर यह कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध संपन्न करने में सहमत होंगे।

अतः अब यह पक्षों द्वारा एवं पक्षों के बीच निम्नानुसार स्वीकार है:

## 1. राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रतिबद्धताएं

- 1.1 राष्ट्रीय आवास बैंक वचन देता है कि संविदा से प्रत्यक्ष तौर पर अथवा परोक्ष रूप से जुड़ा उसका कोई अधिकारी, बोली लगाने की प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा देने अथवा संविदा से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने के बदले में बोलीदाता से सीधे अथवा बिचौलियों के माध्यम से स्वयं के लिए, किसी व्यक्ति, संगठन अथवा संविदा से संबंधित तीसरे पक्ष के लिए घूस, प्रतिफल, उपहार, पुरस्कार, कृपादृष्टि अथवा कोई महत्वपूर्ण अथवा अनावश्यक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा अथवा स्वीकार नहीं करेगा।
  - 1.2 राष्ट्रीय आवास बैंक संविदा-पूर्व चरण में सभी बोलीदाताओं से समान व्यवहार करेगा एवं सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा जो उस बोलीदाता को अन्य बोलीदाता की तुलना में लाभप्रद हो।
  - 1.3 राष्ट्रीय आवास बैंक के सभी अधिकारीगण उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के अतिरिक्त ऐसे उल्लंघन के किसी ठोस संदेह होने पर समुचित सरकारी कार्यालय को सूचित करेंगे।
2. बोलीदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को संपूर्ण एवं प्रमाणयोग्य तथ्यों के साथ ऐसे अधिकारी(यों) की ओर से ऐसी पूर्ववर्ती कदाचार के मामले में सूचित किया जाता है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उक्त प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक, आपराधिक कार्यवाही सहित आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा कोई अन्य कार्रवाई जो ठीक समझे, प्रारंभ कर सकता है एवं ऐसा व्यक्ति संविदा प्रक्रियाओं से संबंधिता आगामी

संव्यवहारों से विवर्जित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में जब राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कोई जांच की जा रही है संविदा की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी।

### 3. बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताएं

- 3.1 भारत सरकार के अनुदेशों/केंद्रीय सतर्कता आयोग/अन्य के दिशानिर्देशों का अनुपालन: बोलीदाता यह वचन देगा कि सफल बोलीदाता के तौर पर उसका चयन होने पर वह संविदा में भारत सरकार के सुसंगत एवं मौजूदा अनुदेशों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जीएफआर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की खरीद नियमावली के उपबंधों/सुसंगत अनुदेशों जो इस विषय में लागू हैं, का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- 3.2 बोलीदाता यह प्रस्तुत करता है कि उसके पास इस कार्य/संविदा कि क्रियान्वयन की विशेषज्ञता है एवं उसके पास इस आरएफपी के संदर्भ में संविदा के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को कुशल व प्रभावी सलाह/सेवाएं देने की क्षमता भी है।
- 3.3 बोलीदाता यह वचन देता है कि वह बोली के किसी भी चरण अथवा संविदा-पूर्व अथवा संविदा-पश्चात चरण में भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों तथा अवैध क्रियाकलाप रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा ताकि संविदा सुरक्षित रहे अथवा आगे भी यह सुरक्षित रहे एवं विशेष तौर पर स्वयं निम्नलिखित के प्रति प्रतिज्ञा करेगा:
- (क) बोलीदाता बोली लगाने की प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा देने अथवा संविदा से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने के बदले में बोली लगाने की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी को अथवा संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन अथवा तीसरे पक्ष को सीधे अथवा बिचौलियों के माध्यम से कोई घूस, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, कृपादृष्टि अथवा अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, अथवा प्रलोभन की पेशकश नहीं करेगा।
- (ख) बोलीदाता ने संविदा प्राप्त करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी अथवा अन्यथा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई घूस, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, कृपादृष्टि अथवा अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, अथवा प्रलोभन नहीं दिया है, पेशकश नहीं की है अथवा देने का अथवा धैर्य रखने का वादा नहीं किया है अथवा संविदा अथवा सरकार की कोई अन्य संविदा प्राप्त करने अथवा निष्पादन करने के संबंध में अथवा संविदा अथवा सरकार की कोई अन्य संविदा के संबंध में कृपादृष्टि दर्शाने अथवा कृपा न दर्शाने के लिए धैर्य रखने का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (ग)\* बोलीदाता विदेश में विद्यमान अपने नियंत्रक कार्यालय अथवा सहयोगी संस्था सहित अपने एजेंटों एवं प्रतिनिधियों का नाम व पते का विगोपन करेगा।
- (घ)\* बोलीदाता इस बोली/संविदा के संबंध में एजेंट/ब्रोकर अथवा किसी अन्य मध्यस्थ को किए गये भुगतानों

का विगोपन करेगा।

- (ड.)\* बोलीदाता ने राष्ट्रीय आवास बैंक को अथवा उसके किसी पदाधिरियों को चाहे अधिकारिक रूप से हो अथवा अनौपचारिक रूप से, बोलीदाता को संविदा प्रदान कराने में मध्यस्थ करने, सुविदा प्रदान करने अथवा किसी भी रूप में सिफारिश करने के लिए किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को नियुक्त नहीं किया है चाहे वह भारतीय हो या विदेशी एवं न ही ऐसी मध्यस्थता, सुविधा अथवा सिफारिश के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को किसी राशि का भुगतान किया है, भुगतान करने का वादा किया है अथवा भुगतान करने का इरादा है।
- (च) बोलीदाता या तो बोली प्रस्तुत करते समय अथवा संविदा पूर्व बातचीत करने के दौरान अथवा संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कोई ऐसे भुगतान जो उसने इस संविदा के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों अथवा उनके परिवारिक सदस्यों अथवा एजेंटों, ब्रोकरो अथवा किसी अन्य मध्यस्थ को भुगतान किया है, भुगतान करने का वादा किया है अथवा भुगतान करने का इरादा है एवं ऐसे भुगतान पर सहमत सेवाओं का विवरणों का विगोपन करेगा।
- (छ) बोलीदाता संविदा के प्रति इच्छुक अन्य पक्षों के साथ बोली लगाने की प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा देने एवं संविदा के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता व प्रगति को बिगाड़ने/विकृत करने में सांठ-गांठ नहीं करेगा।
- (ज) बोलीदाता किसी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधन व अवैध क्रियाकलापों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- (झ) बोलीदाता कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में अंतर्विष्ट जानकारी सहित कारोबारी संबंध के तौर पर, योजना, तकनीकी प्रस्ताव एवं कारोबारी विवरण के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना का प्रतिस्पर्धा के प्रयोजनार्थ अनुचित उपयोग नहीं करेगा अथवा व्यक्तिगत लाभ उठाएगा अथवा या दूसरे लोगों को जाहिर नहीं करेगा। बोलीदाता यह भी वचन देगा कि वह उचित और पर्याप्त देखभाल करने का प्रयास करेगा ताकि ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट न हो।
- (त) बोलीदाता यह वचन देता है कि वह संपूर्ण व प्रमाणयोग्य तथ्यों के समर्थन के बिना सीधे अथवा किसी अन्य तरीके से कोई शिकायत नहीं करेगा।
- (थ) बोलीदाता उपरोक्त वर्णित किसी भी कार्य को करने में किसी तीसरे व्यक्ति को उकसाएगा एवं उकसाने का काम नहीं करेगा।
- (द) यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता का कोई कर्मचारी अथवा बोलीदाता की ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी अथवा प्रकारांतरेंग संबन्धी है, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी का कोई संबन्धी का बोलीदाता फर्म से कोई वित्तीय हित जुड़ा है/फर्म हिस्सेदारी है तो बोलीदाता निविदा भरते समय उक्त का विगोपन करेगा। इस प्रयोजनार्थ शब्द 'संबन्धी' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 5 में परिभाषित

है।

- (ध) बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार की मौद्रिक संव्यवहार अथवा लेन-देन से अथवा संपन्न करने में ऋण अथवा उधार नहीं देगा।
- (न) बोलीदाता कोई अन्य कंपनी के साथ किसी प्रकार के ऐसे आज्ञा उल्लंघन का विगोपन नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत पर असर डालते हों।
- (ट) बोलीदाता ने कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक संविदा इत्यादि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई गुप्त समझौते अथवा समझौता नहीं किया है।

3.4 बोलीदाता यह वचन देता है एवं यह संपुष्टि करता है कि किसी भी संभावित हितों के टकराव को रोकने के सभी आवश्यक उपाय करेगा एवं विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में स्वयं वायदा करेगा:

- (क) बोलीदाता संविदात्मक दायित्वों को निर्वहन करते समय, कोई सलाह अथवा सेवा प्रदान करने के समय राष्ट्रीय आवास बैंक की जानकारी में हितों के टकराव की किसी भी संभावित घटना में पहले से ही, किसी प्रकार के हितों का टकराव से बचेगा।
- (ख) बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के हित एवं सलाह देने में हर समय पेशेवर कर्तव्यनिष्ठा के उच्च मानकों का कार्य/निर्वहन करेगा।
- (ग) बोलीदाता सफल बोलीदाता के तौर पर अपना चयन होने पर यह वचन देता है कि वह हर समय पेशेवर, उद्देश्यपरक एवं निष्पक्ष सलाह देगा करेगा तथा भविष्य के कार्यों के प्रतिफल के बिना राष्ट्रीय आवास बैंक के हित को सर्वोपरि रखेगा एवं सलाह देने में वह अन्य कार्यों व अपने स्वयं के हित में टकराव से बचेगा।
- (घ) बोलीदाता यह घोषणा/संपुष्टि करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने उसे किसी ऐसे कार्य के लिए नियुक्त किया है जो अन्य कर्मचारियों/क्रेताओं के इससे पूर्व के अथवा मौजूदा दायित्वों अथवा जो उसे राष्ट्रीय आवास बैंक सर्वोपरि हित में कार्य/संविदा का निष्पादन करने में अक्षम होने की स्थिति में रखते हैं, टकराव नहीं होगा। उपरोक्त की सामान्य बातों की सीमा के बिना, बोलीदाता निम्नानुसार बताए गये के अनुसार घोषणा/संपुष्टि करेगा:

- (i) **वस्तु, कार्य के प्रति परामर्श से संबंधित क्रियाकलापों एवं खरीद एवं गैर परामर्श संबंधी सेवाएं (अर्थात् परामर्शी सेवाएं देने के अतिरिक्त अन्य सेवाएं) के बीच टकराव:** बोलीदाता के नियंत्रण में हो अथवा बोलीदाता के अधीन हो। बोलीदाता इस बात से पूर्णतया सचेत रहेगा कि उसे ऐसी परामर्शी सेवाएं अथवा गैर परामर्शी सेवाएं प्रदान करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप अथवा सीधे संबंधित वे वस्तुएं, कार्य प्रभावित होते हों। इसके अतिरिक्त बोलीदाता इस तथ्य से भी सचेत रहेगा कि यदि उसने परियोजना की तैयारी अथवा कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में किसी को काम दिया है अथवा किसी का साथ लिया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फर्म द्वारा नियंत्रित है अथवा फर्म के सामान्य नियंत्रणाधीन है तो उसे इसके पश्चात वस्तु, कार्य या सेवाएं (परामर्शी सेवाएं प्रदान

करने के अलावा) उपलब्ध कराने से अयोग्य घोषित किया जाएगा जो ऐसी तैयारी अथवा कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं से अथवा प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है।

यह उपबंध उन विभिन्न फर्मों (परामर्शदाता, ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता) पर लागू नहीं है जो तैयारशुदा अथवा अभिकल्पना एवं निर्माण संविधा के तहत बोलीदाता के दायित्वों के निर्वहन से जुड़ी हैं।

- (ii) **परामर्शी कार्यों के बीच टकराव:** बोलीदाता स्वीकार करता है कि न तो बोलीदाता (अपने कर्मी एवं उप-परामर्शदाता सहित) और न ही कोई साथी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फर्म द्वारा नियंत्रित है अथवा फर्म के सामान्य नियंत्रणाधीन है, किसी को इस कार्य के लिए काम पर रखेगा जिसके स्वभाव द्वारा बोलीदाता के दूसरे कार्यों के साथ टकराव हो। उदाहरण के तौर पर, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निजीकरण में राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायता करने वाले बोलीदाता न तो ऐसी परिसंपत्तियां खरीदेंगे और न ही क्रेताओं को सलाह देंगे। ठीक इसी तरह, किसी कार्य के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) तैयार करने के प्रति काम पर रखा गया बोलीदाता संबंधित कार्य के लिए किसी को काम पर नहीं रखेगा।
- (iii) **राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों से संबंध:** बोलीदाता इस बात से अवगत है कि यह संविदा ऐसे बोलीदाता को तब तक प्रदान नहीं की जा सकती यदि यह पाया जाता है कि उसके विशेषज्ञ, एवं अन्य कर्मी एवं उप-परामर्शदाता सहित उसका राष्ट्रीय आवास बैंक (अथवा परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी) के व्यावसायिक कर्मचारी के साथ कारोबारी अथवा पारिवारिक संबंध हैं जो (i) कार्य के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) की तैयारी (ii) संविदा की चयन प्रक्रिया; अथवा (iii) ऐसी संविदा के पर्यवेक्षण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ा हो, जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवादा संपूर्ण चयन प्रक्रिया एवं अनुबंध के निष्पादन के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक स्वीकार्य तरीके से हल न कर ली गयी हो।
- (iv) **बोलीदाता या तो व्यक्तिगत रूप से या अन्य प्रस्ताव में संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:** यदि संयुक्त उद्यम साझेदार सहित बोलीदाता, एक प्रस्ताव से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है अथवा एक प्रस्ताव से अधिक प्रस्ताव में भाग लेता है तो ऐसे सभी प्रस्ताव अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें परामर्शदाता फर्म को एक से अधिक प्रस्ताव में जब परिस्थितियां इसे उचित ठहराती हों एवं यदि आरएफपी में इसकी अनुमति हो तो उप-परामर्शदाता के तौर पर भाग लेने अथवा टीम के सदस्य के तौर पर भाग लेने से रोक नहीं है।

#### 4. पिछले आज्ञा उल्लंघन

- 4.1 बोलीदाता यह घोषणा करता है कि इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विगत तीन वर्षों में इसमें परिकल्पित किसी भ्रष्ट आचरण के संबंध में किसी अन्य देश में कोई अन्य कंपनी के साथ अथवा भारत में कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा किसी सरकारी विभाग के साथ पूर्व में आज्ञा उल्लंघन की ऐसी कोई घटना

घटित नहीं हुई है जो बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने को उचित ठहराए।

- 4.2 बोलीदाता यह स्वीकार करता है कि यदि वह इस विषय में गलत विवरण देता है तो बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि संविदा पहले की प्रदान कर दी गई हो तो ऐसे कारणों पर उक्त को समाप्त किया जा सकता है।

## 5. जबावदेही

- 5.1 बोलीदाता यह वचन देता है कि सफल बोलीदाता के तौर पर उसके चयन एवं बोलीदाता को संविदा के कार्य के मामले में उसके द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को दी गई सलाह/की गई आपूर्ति/की जाने वाली एवं/अथवा प्रदान की गई कोई सेवा/प्रदान की जाने वाली सेवा में नीतिपरक कारोबार, दक्षता के मानकों को ध्यान में रखने एवं इस तथ्य से कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सलाह/सेवा प्रतिफल के लिए है, के प्रति जबावदेह होगा।
- 5.2 बोलीदाता संविदागत दायित्वों के अनुपयुक्त निर्वहन एवं/अथवा बोलीदाता द्वारा कोई विपरीत आचरण के मामले में भी जबावदेह होगा।

## 6. व्यक्तिगत बाध्यता

बोलीदाता यह स्वीकार करता है कि सफल बोलीदाता के तौर पर उसके चयन के कार्य के मामले में, बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य का सम्यक उद्यम एवं पेशे के मौजूदा मानकों के अनुसार क्रियान्वयन करे। बोलीदाता इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के किसी भी प्रकार के उल्लंघन में राष्ट्रीय आवास बैंक को उत्तरदायी होने जो निष्पादित होने वाली सेवा स्तरीय करार/संविदा के तहत प्रदान किया गया है, के अलावा लागू कानून के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा।

## 7. पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता

बोलीदाता यह वचन देता है कि सफल बोलीदाता के तौर पर उसके चयन के मामले में वह तकनीक के चयन एवं इस आशय की अभिकल्पना एवं विनिर्देशों का निर्धारण, बोली पात्रता मापदंड एवं बोली मूल्यांकन मापदंड, निविदा देने की विधि, निविदा की अधिसूचना इत्यादि के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को कोई सलाह/सेवा प्रदान करते समय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मकता, आर्थिक, दक्षता एवं सभी संभावित निविदाकारों/बोलीदाताओं को समान अवसर देने को ध्यान में रखेगा।

## 8. प्रक्रियाओं में सहयोग:

बोलीदाता परामर्शी संविदा के प्रक्रमण अथवा निष्पादन/बोलीदाता द्वारा संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के कोई अन्य मामलों में पूछताछ करने में वैध रूप से प्रदत्त/गठित जांच निकाय के साथ पूरा सहयोग करेगा।

## 9. उल्लंघन पर प्रतिबंध

9.1 बोलीदाता अथवा उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले (चाहे बोलीदाता के संज्ञान में हो अथवा नहीं) व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त उपबंधों में से किसी प्रकार के उल्लंघन पर राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित सभी कार्रवाई अथवा कोई एक कार्रवाई जो भी अपेक्षित हो, करने का हकदार होगा:

- (i) बिना कोई कारण बताए अथवा बोलीदाता को कोई बिना कोई क्षतिपूर्ति देते हुए संविदा-पूर्व बातचीत तुरंत रोकना हालांकि अन्य बोलीदाता(ओं) के साथ कार्यवाही जारी रखी जाएगी।
- (ii) धरोहर राशि (संविदा पूर्व चरण में) एवं/अथवा जमानत राशि/कार्य-निष्पादन बॉण्ड/पीबीजी (संविदा पर हस्ताक्षर होने के पश्चात) या तो पूरी अथवा आंशिक रूप से जो राष्ट्रीय आवास बैंक निर्णय ले, जब्त की दी जाएगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक इसका कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
- (iii) बिना कोई कारण बताए अथवा बोलीदाता को कोई बिना कोई क्षतिपूर्ति देते हुए संविदा को अविलंब निरस्त करना यदि पहले ही हस्ताक्षर कर लिये गये हों।
- (iv) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पहले से भुगतान की गई पूरी राशि की एवं भारतीय बोलीदाता के मामले में उस पर भारतीय स्टेट बैंक प्रचलित मूल उधार दर से 2 प्रतिशत से अधिक के ब्याज के साथ जबकि भारत के अलावा अन्य देश के बोलीदाता के मामले में एलआईबीओआर से 2 प्रतिशत से अधिक के ब्याज के साथ वसूली करना। यदि बोलीदाता का कोई अन्य संविदा के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक पर कोई भुगतान बकाया है तो उपरोक्त राशि अथवा ब्याज की वसूली के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग/ग्रहण किया जा सकता है।
- (v) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पहले से ही किए गये भुगतान पर ब्याज के साथ वसूली करने के उद्देश्य से अग्रिम बैंक गारंटी एवं कार्य-निष्पादन बॉण्ड/वारंटी बॉण्ड यदि बोलीदाता ने प्रस्तुत किया है, को भुनाना।
- (vi) बोलीदाता से जुड़े सभी अथवा कोई अन्य संविदा निरस्त करना। बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसी कोई अथवा क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी होगा जो ऐसे निरस्तीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप हुई हो एवं राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी राशि काटने का अधिकार होगा जो उसे बोलीदाता को देय है।

- (vii) बोलीदाता को भविष्य में कम से कम पांच वर्ष जो राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर आगे बढ़ाई जा सकती है की अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की बोली क्रिया में भाग लेने से विवर्जित करना।
  - (viii) बोलीदाता द्वारा संविदा सुनिश्चित करने के विचार से किसी मध्यस्थ अथवा एजेंट अथवा ब्रोकर को इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के उल्लंघन के लिए अदा गई गई पूरी राशि की वसूली करना।
  - (ix) ऐसे मामलों में जहां बोलीदाता से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हस्ताक्षरित किसी संविदा के संबंध में अप्रतिसंहणीय साख पत्र प्राप्त हुआ है, उसे नहीं खोला जाएगा।
  - (x) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के मामले में कार्य निष्पादन बॉण्ड/पीबीजी को जब्त करने में कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के उल्लंघन के प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना उक्त को जब्त करना।
- 9.2** राष्ट्रीय आवास बैंक इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के बोलीदाता अथवा उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले (चाहे बोलीदाता के संज्ञान में हो अथवा नहीं) व्यक्ति द्वारा कमीशन देने पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 10 में अथवा रोकथाम अथवा भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 अथवा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित कोई अन्य कानून में परिभाषित अपराध पर अनुच्छेद 10.1(i) से (x) में उल्लिखित सभी अथवा कोई एक कार्रवाई करने का हकदार होगा।
- 9.3** राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय यह दर्शाने वाला होगा कि बोलीदाता द्वारा इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, जो बोलीदाता को अंतिम है व निर्णायक होगा। हालांकि बोलीदाता इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के प्रयोजनार्थ नियुक्त स्वतंत्र निगरानीकर्ता(ओं) से संपर्क कर सकता है।

## 10. गिरावट पर उपधारा:

बोलीदाता यह वचन देता है कि उसके द्वारा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तुत कीमत से कम कीमत पर इस तरह के उत्पाद/प्रणाली अथवा उपप्रणाली आपूर्ति नहीं की गई है/नहीं की जा रही है यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा किसी उससे कम कीमत पर इसी तरह के उत्पाद/प्रणालियों की आपूर्ति की गयी थी तो वर्तमान मामले में बीते गये समय के लिए उचित अंश के साथ वह कीमत प्रयोज्य होगी एवं बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को लागत का वह अंतर वापस करेगा यदि संविदा पहले की समाप्त हो गयी हो।

## 11. अनर्हता एवं ईएमडी/पीबीजी इत्यादि की जब्ती

बोलीदाता यह स्वीकार करता है कि:

- क) संविदा प्रदान करने से पूर्व अथवा संविदा के निष्पादन के दौरान यदि बोलीदाता(ओं) ने कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध का कोई आज्ञा उल्लंघन/ उल्लंघन किया है तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से

अयोग्य घोषित करने/संविदा समाप्त करने का हकदार है।

- ख) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक संविदा प्रदान करने से पूर्व बोलीदाता(ओं) को उपरोक्त खंड (क) के अधीन निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक क्षति के प्रति ईएमडी के बराबर की राशि की मांग व वसूली करने का हकदार होगा एवं ऐसी स्थिति में ईएमडी जब्त की ली जाएगी।
- ग) सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात एवं/अथवा संविदा के निष्पादन के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त खंड (क) के अधीन इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध का कोई उल्लंघन पर कार्य निष्पादन बॉण्ड/कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) की जब्ती अपरिहार्य होगी।
- घ) वह स्वीकार करता है कि ईएमडी/कार्य निष्पादन बॉण्ड/पीबीजी के जब्ती के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

## 12. स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (मॉनीटर):

- 12.1 राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के लिए केंद्रीय सतर्कता अयोग के साथ परामर्श करते हुए श्री किशोर कुमार सांसी ([kishoresansil@gmail.com](mailto:kishoresansil@gmail.com)) एवं श्री राकेश रेवारी ([r\\_rewari@yahoo.com](mailto:r_rewari@yahoo.com)) को स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (इसके पश्चात 'निगरानीकर्तागण' के तौर पर संदर्भित) के तौर पर नियुक्त किया है।
- 12.2 निगरानीकर्ताओं के कार्य में स्वतंत्र व तटस्थ रूप से यह समीक्षा करना शामिल होगा कि पक्ष इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के तहत दायित्वों का अनुपालन करते हैं या नहीं।
- 12.3 निगरानीकर्ता पक्षों के प्रतिनिधियों के अनुदेशों के अधीन नहीं होंगे एवं तटस्थता एवं स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- 12.4 दोनो पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि निगरानीकर्ता के पास बैठक के कार्यवृत्त सहित परियोजना की खरीद के संबंध में सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।
- 12.5 जैसे ही निगरानीकर्ता को इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के उल्लंघन होने का संज्ञान होता है अथवा उल्लंघन होने का विश्वास होता है तो वह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना से अवगत कराएगा।
- 12.6 बोलीदाता स्वीकार करता है कि निगरानीकर्ता के पास राष्ट्रीय आवास बैंक के परियोजना के सभी दस्तावेजीकरण के साथ वे भी जो बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गये हैं, पर कोई रोक के बिना पहुंचने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता निगरानीकर्ता को उनके अनुरोध पर एवं उनके परियोजना के दस्तावेजीकरण के लिए वैध हित, अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा एवं दिखाएगा। उक्त उप-ठेकेदार को भी लागू है। निगरानीकर्ता बोलीदाता/उप-ठेकेदार की जानकारी एवं दस्तावेजों गोपनीयता के साथ समझने के संविदात्मक दायित्वों के अधीन होगा।
- 12.7 राष्ट्रीय आवास बैंक प्रदान की गई परियोजना के संबंध में पक्षों के बीच ऐसी सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएगा जो पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों में असर डालते हों। पक्ष निगरानीकर्ता को ऐसी बैठक में

भाग लेने का विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

- 12.8** निगरानीकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्दिष्ट प्राधिकारी को राष्ट्रीय आवास बैंक/बोलीदाता द्वारा उसे संकेत अथवा सूचना देने की तिथि से 8 से 10 दिनों के भीतर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा एवं समस्याग्रस्त परिस्थितियों में सुधारात्मक अवसर देगा एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

### **13. जांच की सुविधा:**

इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के कोई प्रावधान के उल्लंघन के कोई आरोप एवं कमीशन के भुगतान के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसकी एजेंसियां बोलीदाता की लेखा बही सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने का हकदार होंगी एवं बोलीदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी जांच के प्रयोजनार्थ हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

### **14. कानून एवं अधिकार-क्षेत्र का स्थान:**

यह कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध भारतीय कानून के अधीन है। इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद नई दिल्ली में विद्यमान न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

### **15. अन्य कानूनी कार्रवाई:**

इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध में निर्धारित कार्रवाइयां कोई ऐसी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं जो कोई नागरिक अथवा आपराधिक कार्यवाही के संबंध में प्रवृत्त मौजूदा कानून के उपबंध के अनुसार पालन किए जा सकते हैं। हालांकि निगरानीकर्ता/ओं के विषयों का प्रतिनिधित्व करते समय पक्ष न्यायालय से संपर्क नहीं करेंगे एवं इस विषय में निगरानीकर्ता/ओं के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।

### **16. वैधता:**

- 16.1** इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध की वैधता इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि अथवा वारंटी अवधि सहित राष्ट्रीय आवास बैंक एवं बोलीदाता की संतुष्टि पर संविदा के पूर्ण निष्पादन जो भी बाद में हो, तक रहेगी। यदि बोलीदाता असफल रहता है तो यह कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से छः माह पश्चात समाप्त हो जाएगा।
- 16.2** क्या इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध के एक अथवा कई उपबंध बदले जाएं अथवा अमान्य किए जाएं, इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसे मामले में पक्षों को अपने मूल आशय के साथ करार करने का प्रयास करना होगा।

पक्ष इसके साथ-साथ दिन, माह एवं वर्ष व निम्नलिखित स्थान में इस कर्तव्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं:

<p>कृते राष्ट्रीय आवास बैंक</p> <p>(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)</p> <p>स्थान: तिथि:</p> <p><u>गवाह</u></p> <p>1. _____ _____</p> <p>(नाम व पता)</p> <p>2. _____ _____</p> <p>(नाम व पता)</p>	<p>कृते बोलीदाता</p> <p>(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)</p> <p>स्थान: तिथि:</p> <p><u>गवाह</u></p> <p>1. _____ _____</p> <p>(नाम व पता)</p> <p>2. _____ _____</p> <p>(नाम व पता)</p>
--	---

(\*विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के संबंध में इन उपधाराओं के उपबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक की नीति अनुरूप संशोधन करने/हटाने की आवश्यकता होगी)

(गैर अदालती स्टॉप पेपर पर निष्पादित करें)  
सेवा स्तरीय करार

यह सेवा स्तरीय करार (इसके पश्चात 'करार' के तौर पर संदर्भित) राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन गठित बैंक, जिसका कार्यालय तृतीय-पांचवा तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है (इसके पश्चात 'एनएचबी' कहा जाय), जिसमें वाक्यांश शामिल होगा, जहां भी संदर्भ इसके उत्तराधिकारियों को ऐसी अनुमति देता है एवं अनुमति दी गयी निर्दिष्ट करता है); एवं .....कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय.....में है (इसके पश्चात 'परामर्शदाता' कहा जाय, जिसमें वाक्यांश शामिल होगा, जहां भी संदर्भ इसके उत्तराधिकारियों को ऐसी अनुमति देता है एवं अनुमति दी गयी निर्दिष्ट करता है) के बीच.....दिनांक.....माह, 201.....को किया गया।

(इसके पश्चात एनएचबी एवं परामर्शदाता सामूहिक रूप से 'पक्षों' एवं अलग-अलग रूप से 'पक्ष' के तौर पर संदर्भित किये जाते हैं)

जबकि

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक .....के लिए परामर्शदाता को पारिश्रमिक पर नियुक्त करना चाहता है जैसा .....दिनांक को प्रस्ताव हेतु अनुरोध सं. ....में वर्णित है। (इसमें जारी किया गया शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण शामिल है) (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'आरएफपी' के तौर पर संदर्भित (इसके साथ परिशिष्ट-I के तौर पर संलग्न है)

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरएफपी जारी करने की रीति से खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एवं इसके पश्चात बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियों द्वारा मूल्यांकन द्वारा चयनित होने के पश्चात परामर्शदाता का चयन किया गया है एवं तदनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परामर्शदाता को पत्र सं. ....दिनांक..... (एलओए) (इसेक साथ परिशिष्ट-II के तौर पर संलग्न) जारी किया गया है।

(ग) परामर्शदाता ने स्वीकार एवं मान लिया है कि वह आरएफपी एवं एलओए की निबंधन व शर्तों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(घ) इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक एवं परामर्शदाता इसके पश्चात दिखाई देने वाली रीति में इस निश्चित सेवा स्तरीय करार को संपन्न करने के लिए सहमत हैं।

अतः अब पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित पर सहमत हैं:

## 1. सामान्य उपबंध

### 1.1 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्द जहां भी इस संविदा में प्रयुक्त हुए हैं का निम्नलिखित अर्थ होगा:

- (क) 'अनुप्रयोज्य कानून' से कानून एवं अन्य लिखत जो भारत में प्रवृत्त हैं जैसा वे समय-समय पर जारी एवं प्रवृत्त हो अभिप्रेत है।
- (ख) 'संविदा' से यह करार अभिप्रेत है एवं इसके आशय स्पष्ट करेगा।
- (ग) 'प्रदेय' से इस आरएफपी की उपधारा.....में विनिर्दिष्ट प्रमुख प्रदेय अभिप्रेत व शामिल हैं।
- (घ) 'प्रभावी तिथि' से वह तिथि अभिप्रेत है जिसको करार प्रवृत्त हुआ है एवं इससे संबंधित उपधारा 2.1 के अनुसार प्रभावी हुआ।
- (ङ) 'कार्मिक' से परामर्शदाता द्वारा कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया /नियुक्त किया जाने वाला एवं सेवाओं अथवा तत्संबंधी किसी हिस्से के कार्य निष्पादन हेतु नियत किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (च) 'परियोजना' से इस आरएफपी में विस्तार से दिये गये सामूहिक सेवाएं व प्रदेय अभिप्रेत है।
- (छ) 'सेवाएं' अथवा 'कार्यक्षेत्र' से परामर्शदाता द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य एवं कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो आरएफपी की खंड \_\_\_\_\_ में वर्णित/निर्धारित है।
- (ज) 'तीसरे पक्ष' से राष्ट्रीय आवास बैंक एवं परामर्शदाता के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अथवा संस्था अभिप्रेत है।

### 1.2 निवर्चन का सिद्धांत

इस संविदा के में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- क) सभी बड़े अक्षर जब तक कि इस संविदा में विशेषतौर पर परिभाषित न हो, का इस आरएफपी में उनको दिया गया अर्थ होगा।
- ख) शब्द एवं संक्षिप्त शब्द जिन्हें तकनीकी अथवा व्यापार/वाणिज्यिक अर्थों में भली भांति जाना जाता है इस

संविदा में ऐसे ही अर्थों के अनुरूप इस्तेमाल किये गये हैं।

- ग) परिशिष्टों/अनुलग्नकों के साथ आरएफपी, एलओए एवं एनडीए इस करार के हिस्सा एवं खंड होंगे एवं सभी प्रयोजन एवं प्रभाव के लिए साथ-साथ पढ़े जाएंगे।
- घ) आरएफपी, एलओए एवं इस करार में अंतर्विष्ट उपबंधों के बीच किसी विसंगति अथवा प्रतिकूलता के मामले में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसी विसंगति अथवा प्रतिकूलता के सीमा तक राष्ट्रीय आवास बैंक की राय मान्य होगी एवं उक्त परामर्शदाता पर बाध्यकारी होगी।

### 1.3 प्रयोजन

- 1.3.1 एतद् द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि परामर्शदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को परियोजना की समाप्ति तक इस आरएफपी में निर्धारित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना का उद्देश्य \_\_\_\_\_ बनाना है।

#### 1.3.2 कार्य क्षेत्र का कार्य निष्पादन

परामर्शदाता कार्य क्षेत्र में निर्धारित सभी सेवाओं का निष्पादन करेगा एवं आरएफपी की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रदेय पूरा करेगा तथा इस संविदा की अवधि के भीतर पूरा कार्य संपन्न करेगा।

#### 1.3.3 संविदा की मियाद/अवधि

परामर्शदाता द्वारा इस संविदा के तहत कार्यक्षेत्र में वर्णित कार्य.....की तिथि से प्रारंभ होकर..... (अवधि) की अवधि के भीतर संपन्न कर लिया जाएगा जब तक कि यह अवधि इस करार के अनुसार आगे न बढ़ाई जाय।

#### 1.3.4 संविदा की कीमत

इस संविदा में निष्पादित किये जाने वाला संपूर्ण निश्चित कीमत वाली संविदा है एवं परामर्शदाता को परियोजना के तहत संपूर्ण कार्य के के संतोषजनक कार्य-निष्पादन/निष्पादन पर \_\_\_\_\_ रुपये ( \_\_\_\_\_ रुपये) ('संविदा कीमत') के कुल कीमत भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संविदा कीमत का भुगतान इस करार की खंड 4.2 में सहमत भुगतान की शर्तों के अनुसार कर दिया जाएगा।

#### 1.4 पक्षों के बीच संबंध

इस करार में अंतर्विष्ट कुछ भी न होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक एवं परामर्शदाता के बीच स्वामी एवं नौकर अथवा एजेंट एवं मालिक का संबंध स्थापित करने वाला संबंध माना जाएगा। इस करार के अधीन परामर्शदाता के पास इन सेवाओं के कार्य निष्पादन के लिए परामर्शदाता द्वारा नियुक्त कर्मियों का पूरा प्रभार होगा एवं उनके द्वारा अथवा इसके अंतर्गत उनके ओर से यह कार्य निष्पादित किए जाने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

#### 1.5 भाषा

यह संविदा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित की गयी है जो इस संविदा के अर्थ व निर्वचन से संबंधित सभी विषयों के लिए बाध्यकारी एवं नियंत्रित भाषा होगी।

#### 1.6 शीर्षक

शीर्षक इस संविदा के अर्थ को सीमित नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे अथवा प्रभावित नहीं करेंगे।

#### 1.7 सूचना (नोटिस)

1.7.1 इस संविदा के अनुसार दी जाने वाली अथवा दी गयी अपेक्षित अथवा अनुमत कोई सूचना, अनुरोध अथवा सहमति लिखित में होगी। ऐसी कोई सूचना, अनुरोध अथवा सहमति तभी दी गयी अथवा की गयी समझी जाएगी जब वह व्यक्तिगत रूप से पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपी गयी हो जिसको पत्राचार संबोधित है अथवा जब ऐसे पक्ष को निम्नलिखित पते पर पंजीकृत ईमेल, टैलेक्स, टैलीग्राम अथवा फैक्स से भेजी गयी हो:

**राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए:**

ध्यानार्थ: \_\_\_\_\_

फैक्स: \_\_\_\_\_

**परामर्शदाता के लिए:**

ध्यानार्थ: \_\_\_\_\_

फैक्स \_\_\_\_\_

1.7.2 सूचना निम्नानुसार प्रभावी समझी जाएगी:

- क) व्यक्तिगत सुपर्दगी अथवा पंजीकृत मेल के मामले में सुपर्दगी होने पर
- ख) टेलीग्राम के मामले में छयानबे (96) घंटे पारेषण की पुष्टि के पश्चात एवं
- ग) फैक्स के मामले में बहरतर (72) घंटे पारेषण की पुष्टि के पश्चात

1.7.3 पक्ष दूसरे पक्ष को इस खंड के अनुसार परिवर्तन की सूचना देते हुए अपना पता बदल सकता है।

**1.8 अवस्थिति**

यह सेवाएं दिल्ली अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे अपेक्षित/अनुमोदित स्थल पर निष्पादित की जाएगी।

**1.9 परामर्शदाता का प्राधिकार**

परामर्शदाता एतद् द्वारा पत्र/संसूचना पर हस्ताक्षर करने, करारों का निष्पादन में, राष्ट्रीय आवास बैंक से अनुदेश एवं भुगतान प्राप्त करने की बिना बाध्यता सहित इस संविदा के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति परामर्शदाता के सभी अधिकार एवं दायित्वों का प्रयोग करते हुए अपनी ओर से ..... करने के लिए प्राधिकृत है।

**1.10 कर एवं शुल्क**

परामर्शदाता एवं उसके कर्मी इस करार की अवधि में मौजूदा, संशोधित अथवा अधिनियमित कानूनों के तहत लगाये गये कर, (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, शुल्क, उद्ग्रहण तथा अन्य दंडों का भुगतान करेगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे कर की कटौती के संबंध में ऐसे शुल्कों का निष्पादन करेगा जो परामर्शदाता को किए जाने वाले भुगतान पर विधिसम्मत लगाया जा सके।

**2.0 संविदा का प्रारंभ, संपन्न होना, संशोधन एवं समापन**

**2.1 संविदा की प्रभावोत्पादकता**

यह करार परामर्श द्वारा कार्य प्रदान करने का पत्र (एलओए) स्वीकार करने की तिथि यानि .....से प्रभावी समझा जाएगा।

## 2.2 सेवाओं का प्रारंभ

परामर्शदाता ये सेवाएं तुरंत यानि एलओए स्वीकार करने की तिथि अथवा ऐसी तिथि से जिसको पक्ष लिखित में सहमत हैं से शुरू होगा।

## 2.3 संविदा का अवसान

जब तक कि खंड 2.8 के अनुसार पूर्व में समाप्त न किया जाय यह संविदा समय की समाप्ति जैसा खंड 1.3.3 में वर्णित है को खत्म होगी।

## 2.4 पूरा करार

इस संविदा में पक्षों द्वारा सहमत सभी प्रसंविदाएं, शर्तें व उपबंध शामिल होंगे। किसी पक्ष को प्रतिनिधि बनाने का प्राधिकार नहीं है एवं पक्ष कोई बयान, अभ्यावेदन, प्रतिज्ञा अथवा करार जो इस करार में निर्धारित नहीं है, करने के लिए वाध्य अथवा भागी नहीं होंगे।

## 2.5 संशोधन

सेवाओं/कार्यक्षेत्र के किसी संशोधन सहित इस संविदा की निबंधन व शर्तों का संशोधन पक्षों के बीच लिखित करार से ही किया जाएगा एवं तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि पक्षों की सहमति प्राप्त न हो। हालांकि इस करार के खंड 5.2 के अनुसार प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा किए गये संशोधन का कोई प्रस्ताव पर उचित महत्व देगा।

## 2.6 अप्रत्याशित घटना

### 2.6.1 परिभाषा

किसी एक पक्ष के अप्रत्याशित घटना के कारण संविदा के तहत उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाले किसी अपेक्षित दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहने की स्थिति में ऐसे अप्रत्याशित घटना द्वारा प्रभावित होने वाले पक्ष के संबंधित दायित्व उस अवधि तक निलंबित रहेंगे जब तक ऐसे कारण बने रहते हैं।

इसमें नियोजित 'अप्रत्याशित घटना' शब्द से देवी घटना, युद्ध, दंगे, आग एवं बाढ़ एवं संविदा के कार्य निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले दोनों पक्षों के संबंधित सरकारों के अधिनियम एवं विनियम अभिप्रेत है।

ऐसे कारण की घटना एवं इसकी समाप्ति पर निश्चयपूर्वक वर्णन करने वाला पक्ष जिसने यह प्रस्तुत किया है कि वह उसके कारण उपरोक्त कारणों से असमर्थ है, दूसरे पक्ष को क्रमशः अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप हुए कारण के प्रारंभ होने के 72 घंटों के भीतर सूचना देने के अलावा, उक्त कारण के आखिर में भी दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आपूर्ति 2 (दो) माह से अधिक निलंबित रहती है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अपनी ओर से बिना किसी देयता के अपने विवेक पर पूरी अथवा आंशिक रूप में यह संविदा निरस्त करनेका विकल्प होगा।

अप्रत्याशित घटना द्वारा निलंबित संबंधित दायित्व के निर्वहन का समय तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक ऐसे कारण बने रहते हैं।

### 2.6.2 संविदा का उल्लंघन नहीं

पक्ष द्वारा इसमें समायोजित अपने दायित्वों के पूरा करने में असफल रहने पर इस संविदा के उल्लंघन अथवा इस संविदा के तहत व्यतिक्रम नहीं जाना जाएगा जब तक ऐसी असमर्थता अप्रत्याशित घटना की स्थिति से उत्पन्न हो परंतु शर्त यह है कि ऐसी घटना से प्रभावित होने वाले पक्ष ने इस संविदा के निबंधन व शर्तों को पूरा करने के सभी उद्देश्यों के साथ यथोचित सावधानी, उचित देख-रेख एवं यथोचित वैकल्पिक उपाय किए हों।

### 2.6.3 किए जाने वाले उपाय

- (क) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होने वाले पक्ष, कम से कम देरी के साथ ऐसे पक्ष के अपने दायित्वों को पूरा करने की असमर्थता दूर करने के सभी यथोचित उपाय करेगा।
- (ख) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होने वाले पक्ष को ऐसी घटना की प्रकृति व कारण का साक्ष्य प्रदान कराते हुए यथाशीघ्र ऐसी घटना एवं किसी भी स्थिति में ऐसी घटना घटित होने के पश्चात 14 (चौदह) दिनों के बाद नहीं, सूचना देगा एवं इसी तरह यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल होने की सूचना देगा।
- (ग) पक्ष किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के सभी यथोचित उपाय करेगा।

### 2.6.4 समय बढ़ाना (समय का विस्तार)

ऐसी कोई अवधि जिसके भीतर पक्ष इस संविदा के अनुसार कोई कार्रवाई अथवा कार्य संपन्न करेगा, उस समय के बराबर की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसमें ऐसे पक्ष अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप ऐसे कार्य के निर्वहन करने में असमर्थ था।

### 2.6.5 परामर्श

30 (तीस) दिन की अनधिक देरी के पश्चात पक्ष जो अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप सेवाओं के महत्वपूर्ण भाग का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है, वह पक्ष ऐसी परिस्थितियों में किए जाने वाले समुचित उपायों पर सहमत होने के विचार के साथ एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

### 2.7 आस्थगन (निलंबन)

राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को निलंबन की लिखित सूचना देते हुए परामर्शदाता के सभी भुगतान रोक सकेगा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है अथवा यदि परामर्शदाता सेवाओं का निर्वहन सहित इस संविदा के तहत अपने किसी दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है परंतु यह कि आस्थगन की ऐसी सूचना (i) विफल होने की प्रकृति विनिर्दिष्ट करेगी एवं (ii) परामर्शदाता को आस्थगन की ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात तीस (30) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी विफलता के उपाय प्रदान करने का अनुरोध करेगा एवं संविदा के कार्यनिष्पादन की गारंटी मांगेगा।

### 2.8 समापन

#### 2.8.1 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा

राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को कम से कम पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों की लिखित सूचना देगा (ऐसी घटना को छोड़कर जो नीचे अनुच्छेद (छ) में सूचीबद्ध है जिसके लिए कम से साठ (60) दिनों की लिखित सूचना देनी होगी) इस खंड 2.8.1 के अनुच्छेद (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार की घटना होने के पश्चात दी जाने वाली ऐसी सूचना से इस संविदा का समापन हो जाएगा:

- (क) यदि परामर्शदाता ऐसी सूचना के प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर अथवा ऐसी अवधि के भीतर जो राष्ट्रीय आवास बैंक तत्पश्चात लिखित में अनुमोदित करे, इस करार के अंतर्गत अपने दायित्व जो इसके साथ-साथ-उपरोक्त खंड 2.7 के अनुसार आस्थगन की सूचना में विनिर्दिष्ट है, का निर्वहन करने में विफल रहने का उपाय करने में असफल रहता है;
- (ख) यदि परामर्शदाता दिवालिय अथवा ऋणशोधनाक्षम हो जाता है अथवा अपने लेनदारों के साथ कर्ज के राहते के लिए करार संपन्न करता है अथवा देनदारों के लाभ के लिए किसी कानून का लाभ उठाता है अथवा परिसमापन का प्रापक पद चाहे अनिवार्य हो अथवा स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करता है;
- (ग) यदि परामर्शदाता खंड-8 के अनुसार मध्यस्थ कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने का अनुपालन करने में असफल रहता है;
- (घ) यदि परामर्शदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकार, दायित्व अथवा हितों पर भौतिक प्रभाव डालते हैं एवं जिसमें परामर्शदाता झूठा होना पाया जाता है:

- (ड) बैंक के संज्ञान में यह बात आने की दशा में कि परामर्शदाता द्वारा बोली दस्तावेज अथवा उसके बाद के पत्राचार में किया गया कोई अभ्यावेदन एवं/अथवा आश्वासन झूठा पाया जाता है एवं/अथवा परामर्शदाता/इसके कर्मचारीगण किसी धोखाधड़ी अथवा आपराधिक कृत्य में पाये जाते हैं तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (च) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार एवं किसी कारण जो भी हो, के लिए इस संविदा को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

### 2.8.2 अधिकार एवं दायित्यों का अवसान (समापन) होना

इस करार के अंतर्गत खंड-2.8.1 के अनुसार इस संविदा के समापन पर अथवा इस करार के अंतर्गत खंड 2.3 के अनुसार इस संविदा के अवसान पर इसके अधीन पक्षों के सभी अधिकार एवं दायित्व समाप्त हो जाएंगे, सिवाय:

- (क) ऐसे अधिकार एवं दायित्व जो समापन अथवा अवसान की तिथि प्रोद्भूत हो,  
(ख) इस करार के साथ खंड 3.7 में निर्धारित गोपनीयता का दायित्व,  
(ग) कोई अधिकार जिसमें पक्ष अनुप्रयोज्य कानून के अंतर्गत हो,

### 2.8.3 सेवाओं का अवसान

खंड-2.8.1 के अनुसार सूचना द्वारा इस संविदा के समापन पर परामर्शदाता ऐसी सूचना के प्रेषण अथवा प्राप्ति पर सेवाएं बंद करने के लिए त्वरित और व्यवस्थित ढंग से अविलंब सभी आवश्यक कदम उठाएगा एवं इस प्रयोजनार्थ कम से कम खर्च करने का हर संभव युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

### 2.8.4 संविदा के समापन के मामले में भुगतान

इस आरएफपी की शर्तों के अधीन यदि संविदा समाप्त हो जाती है तो पहले से ही आपूर्ति सेवाओं के लिए सेवाओं का भुगतान प्रयोज्य दंड एवं टीडीएस/अन्य प्रयोज्य करों की कटौती के पश्चात, समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

## 3.0 परामर्शदाता के दायित्व

### 3.1 कार्य-निष्पादन के मानक

परामर्शदाता व्यावसायिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त आमतौर पर स्वीकार किए गये तकनीकों एवं व्यावसायिक

अभियांत्रिकी में प्रयुक्त प्रथाओं एवं परामर्शदात्री मानकों के अनुसार सम्यक उद्यम, दक्षता के साथ सेवाओं का निष्पादन एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा एवं सुदृढ़ प्रबंधन, तकनीक एवं अभियांत्रिकी प्रथाओं का पालन करेगा व समुचित उन्नत प्रौद्योगिकी, सुरक्षित व कारगर उपस्कर, मशीन, सामग्री व विधि का प्रयोग करेगा। परामर्शदाता इस संविदा अथवा सेवाओं से संबंधित किसी प्रकार के विषय के संबंध में हमेशा राष्ट्रीय आवास बैंक के निष्ठावान सलाहकार के तौर पर कार्य करेगा एवं तीसरे पक्ष के साथ कोई संव्यवहार करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के विधिसम्मत हितों की हर समय रक्षा करेगा।

### 3.2 संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून

परामर्शदाता प्रयोज्य कानूनों के अनुसार इस कार्य का निष्पादन करेगा एवं ऐसे सभी व्यावहारिक कदम उठायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परामर्शदाता के कर्मचारी अनुप्रयोज्य कानून का अनुपालन कर रहे हैं।

### 3.3 हितों का टकराव

परामर्शदाता भविष्य के कार्यों पर बिना कोई विचार किए राष्ट्रीय आवास बैंक के हित को सर्वोपरि मानेगा एवं अन्य नियत कार्यों अथवा कार्पोरेट हितों के टकराव से पूरी तरह बचेगा।

### 3.4 परामर्शदाता द्वारा कमीशन, छूट इत्यादि का लाभ न उठाना

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परामर्शदाता को किया गया भुगतान इस संविदा अथवा इन सेवाओं के संबंध में केवल परामर्शदाता का भुगतान माना जाएगा एवं परामर्शदाता अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी व्यापार का कमीशन, छूट अथवा इस संविदा अथवा इन सेवाओं के अनुसार क्रियाकलापों के संबंध में अथवा इस संविदा के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में इसी तरह के भुगतान स्वीकार नहीं करेगा एवं परामर्शदाता अपने बेहतर प्रयासों का इस्तेमाल करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसी तरह उसके कर्मचारी ऐसा कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त न करे।

### 3. परामर्शदाता एवं सहयोगी परियोजना में अन्यथा इच्छुक न होंना/परियोजना से अन्यथा लाभान्वित न होंना

परामर्शदाता यह स्वीकार करता है कि वह इस संविदा की अविध एवं इसके समापन के दौरान, परामर्शदाता उस व्यावसायिक शुल्क जिसका इस कार्य के लिए खंड 4.2 में उल्लिखित व्यावसायिक शुल्क के तौर भुगतान किया जाना है, के अतिरिक्त स्वयं के लिए एवं अपने किसी सहयोगी के लिए इस परियोजना/कार्य एवं/अथवा प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अन्यथा व्युत्पन्न कोई वित्तीय लाभ के कोई कार्य नहीं करेगा/अवसर पैदा नहीं करेगा।

### 3.6 टकराव की गतिविधियों का निषेध

परामर्शदाता एवं उसके सहयोगी ऐसे किसी करोबार अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में या तो प्रत्यक्ष तौर अथवा परोक्ष तौर शामिल नहीं होंगे जो इस संविदा के तहत उनको सौंपी गई गतिविधियों के प्रतिकूल हो। प्रस्तावित कार्य की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त परामर्शदाता एवं उसके सहयोगी इसके बाद की ऐसी ही परियोजना के प्रारंभिक कार्य से संबंधित सेवाओं के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

### 3.7 गोपनीयता

परामर्शदाता एवं उसके कर्मी राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना या तो इस संविदा की अवधि के दौरान अथवा समापन के पश्चात इस परियोजना, इस सेवा, इस कार्य अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक के कारोबार अथवा परिचालन से संबंधित कोई मालिकाना अथवा गोपनीय जानकारी का विगोपन नहीं करेगा।

परामर्शदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच यदि अपेक्षित हो, अलग गैर विगोपन सह गोपनीयता करार ('एनडीए') पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

### 3.8 परामर्शदाता द्वारा किये जाने वाला बीमा

परामर्शदाता इन सेवाओं से उत्पन्न अथवा संबंध में किसी व्यक्ति की चोट के लिए सभी हानि, लागत एवं प्रभार एवं व्यय अथवा कोई संपत्ति की हानि जो इस कार्य में परामर्शदाता अथवा उनके कर्मचारियों की चूक के परिणामस्वरूप हुई है, के प्रति दायित्वों की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए यथोचित संविदात्मक देयता कवरेज सहित सभी जोखिम एवं सभी के लिए बीमा कवरेज जैसे कर्मचारियों को मुआवजा, इस कार्य पर नियुक्ति सभी कर्मचारियों के लिए रोजगार देयता बीमा, सर्वग्राही सामान्य देयता बीमा के लिए अपनी स्वयं की लागत पर यथोचित बीमा करेगा।

### 3.9 परामर्शदाता के उत्तरदायित्व

परामर्शदाता इस संविदा के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को सेवाओं का निष्पादन करने एवं निम्नलिखित देयताओं के अधीन ऐसे कार्य निष्पादन में परामर्शदाता की चूक के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक को हुए किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

क. परामर्शदाता स्वयं एवं अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई व्यक्तियों के किसी कृत्य, उपेक्षा, व्यतिक्रम अथवा चूक

के कारण हुई अथवा उत्पन्न होने वाली कोई क्षति अथवा चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; एवं  
ख. परामर्शदाता ऐसी परिस्थितियों में जो परामर्शदाता के नियंत्रण में नहीं थी, के कारण हुई अथवा उत्पन्न होने वाली कोई हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3.10 परामर्शदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की क्षतिपूर्ति

परामर्शदाता इस कार्य की अवधि में अथवा इस कार्य की अवधि के पश्चात दोनों में राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा झेली गयी कानूनी शुल्क एवं व्यय सहित लेकिन सीमित नहीं, सभी हानि, क्षति, चोट, मृत्यु, व्यय, कार्रवाई, कार्यवाही, मांग, लागत एवं दावों के प्रति पूर्णतया अथवा प्रभावी रूप से क्षतिपूरित जहां ऐसी हानि, क्षति, चोट (i) परामर्शदाता अथवा उसके कर्मियों द्वारा अनुचित कार्रवाई, घोर उपेक्षा अथवा कोई गोपनीयता का कोई उल्लंघन सहित संविदा का उल्लंघन एवं/अथवा (ii) अथवा परामर्शदाता अथवा उसके कर्मियों के कारण कोई उपेक्षा अथवा घोर कदाचार; एवं/अथवा (iii) कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई दावा जो परामर्शदाता द्वारा बैंक में तैनात किए गये हैं; एवं/अथवा (iv) रोजगार से पैदा होने वाला कोई दावा, परामर्शदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को कानूनों/विभिन्न श्रम कानूनों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान न करना एवं लाभ के प्रावधान न होना (v) कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी या सभी प्रदेय या सेवाएं एवं अथवा (vi) खंड 3.7 के तहत उल्लिखित गोपनीयता उत्तरदायित्वों एवं/अथवा एनडीए के कोई उल्लंघन से राष्ट्रीय आवास बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके कर्मचारियों, कर्मियों, अधिकारियों एवं निदेशकों को सुरक्षित रखेगा।

### 3.11 उत्तरदायित्व की सीमा

- (i) इस परियोजना के हिस्से के तौर पर किए गये दायित्वों के संबंध में परामर्शदाता के संपूर्ण उत्तरदायित्व, चाहे वे भले ही निम्नलिखित उप-धारा (ii) में उल्लिखित उन परिस्थितियों के अलावा ऐसे उत्तरदायित्व बढ़ाने वाली कार्रवाई के स्वरूप अथवा प्रकृति में उत्पन्न हों, कुल संविदा मूल्य के \_\_\_\_\_ गुना तक सीमित होंगे।
- (ii) परामर्शदाता द्वारा किए गये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों अतिल्लंघन अथवा गोपनीयता दायित्वों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध दावों के मामले में परामर्शदाता के उत्तरदायित्व वास्तविक एवं असीमित रहेंगे।
- (iii) किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को इस करार के समापन से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, विशेष अथवा दृष्टांत योग्य क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा भले ही उसने ऐसी क्षति की संभावना की सूचना दी हो।

### 3.12 परामर्शदाता की कार्रवाईयों के लिए मालिक की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता

परामर्शदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना सेवाओं के किसी हिस्से के कार्य निष्पादन के लिए उप संविदा संपन्न नहीं करेगा। हालांकि परामर्शदाता सेवाओं के किसी हिस्से को क्रियान्वित करने के लिए कर्मियों की सेवाएं ले सकता है। परामर्शदाता अपने कर्मचारियों द्वारा इस संविदा के सेवाओं के निष्पादन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी रहेगा।

### 3.13 सूचना देने का दायित्व

परामर्शदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को अपेक्षित कोई समर्थित डेटा सहित प्रस्ताव पत्र में निर्धारित रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

### 3.14 परामर्शदाता द्वारा तैयार दस्तावेजों का राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति होना

सेवाओं के निष्पादन में परामर्शदाता द्वारा तैयार/विकसित सभी सॉफ्टवेयर, कलन विधि (एल्गोरिदम), अन्य दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति बन जाएंगे एवं रहेंगे एवं परामर्शदाता इस संविदा के अवसान अथवा समाप्ति से पूर्व (इस संविदा के अवसान अथवा समाप्ति के बाद नहीं), ऐसे दस्तावेजों की विस्तृत सूची के साथ सभी दस्तावेज सौंपेगा। परामर्शदाता ऐसे दस्तावेजों की प्रति बना सकता है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इस संविदा से असंबद्ध प्रयोजनों में इसका उपयोग नहीं करेगा।

### 3.15 परामर्शदाता के कर्मी

परामर्शदाता यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना/संविदा में उसके द्वारा नियुक्त कर्मी/कर्मचारी इस आरएफपी में निर्धारित यथोचित योग्यता एवं क्षमता रखते हैं तथा हर तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य हैं। परामर्शदाता यह सुनिश्चित करने के संपूर्ण प्रयास करेगा कि परामर्शदाता द्वारा इस समझौते के तहत काम करने के लिए चिन्हित कर्मी अवधि पूरी करेंगे। ऐसा कोई कर्मी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है एवं परामर्शदाता को छोड़ देता है तो परामर्शदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को उसके बदले में उसी तरह की जानकारी व अनुभव रखने वाला राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य दूसरा कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।

परामर्शदाता सभी प्रयोज्य श्रम कानूनों एवं परामर्शदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं एवं नियुक्त कर्मियों के संबंध में ऐसे अन्य कानूनों का कड़ाई से पालन करेगा एवं वह इस तरह नामांकित उक्त कर्मियों के सभी कृत्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा एवं बैंक व परामर्शदाता द्वारा इस तरह नियुक्त उक्त कर्मियों के बीच किसी प्रयोजन एवं किसी आशय के लिए संविदा का कोई गुप्त संबंध नहीं होगा।

परामर्शदाता इस करार के तहत परामर्शदाता द्वारा नियुक्त अपने कर्मियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रयोज्य कानूनों के तहत आय कर से संबंधित यथोचित कटौतियां एवं कोई अन्य सांघिक कटौतियां करने के लिए जिम्मेदार होगा। परामर्शदाता किसी प्रकार के ऐसे दावों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होगा जो सांघिक प्राधिकरणों द्वारा इस करार के तहत कार्य के निष्पादन करने में परामर्शदाता द्वारा नियुक्त अपने कर्मी/कर्मचारियों से संबंधित अभिदान के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए प्राधिकृत है जो परामर्शदाता को किये जाने वाले भुगतान के संबंध में प्रवृत्त कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक हो।

### 3.16 स्पर्धा में भाग न लेना

परामर्शदाता इस करार की वैधता अवधि के दौरान एवं इस करार के अवसरान की तिथि से एक वर्ष तक राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कर्मचारी के कार्य के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न तो कोई संपर्क करेगा और न ही कोई प्रस्ताव करेगा। खंड

### 3.17 स्वामित्व अथवा गठन में बदलाव:

परामर्शदाता अपने स्वामित्व अथवा अपने गठन में कोई बदलाव के बारे में अविलंब राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करेगा। परामर्शदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि परामर्शदाता यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों की अत्यंत सावधानी से सुरक्षा की जाएगी। यदि राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता के स्वामित्व अथवा गठन में बदलाव एवं/अथवा नये स्वामी से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा एवं ऐसी स्थिति में संविदा के अवसान पर भुगतान, यदि कोई हो, खंड 2.8.4 दिये गये के अनुसार किया जाएगा।

## 4.0 राष्ट्रीय आवास बैंक के दायित्व

### 4.1 सहायता:

राष्ट्रीय आवास बैंक, परामर्शदाता को संविदा के तहत इस कार्य का क्रियान्वयन करने के लिए अपनी प्रणाली में अनुरक्षित प्रासंगिक एवं सीमित डेटा तक पहुंच प्रदान करना सहित यथा अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा।

### 4.2 प्रतिफल एवं भुगतान की शर्तें

इस करार के तहत परामर्शदाता द्वारा निष्पादित सेवाओं को देखते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को ऐसा भुगतान

एवं ऐसे तरीके में करेगा जो इस करार के इस आरएफपी एवं/अथवा एलओए में विनिर्दिष्ट है।

परामर्शदाता, उस अवधि जिसके लिए भुगतान मांगा गया है, के दौरान उसके द्वारा किए गये कार्य, फर्म के मुद्रित बीजक में दर्शाते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को बीजक प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक, परामर्शदाता को इस आरएफपी में दी गई भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करेगा। लेकिन यदि कार्य की प्रगति संतोषजनक एवं सहमत कार्यक्रम/अनुसूची के अनुसार नहीं है तो भुगतान रोक लिया जाएगा।

#### 4.3 याचना न करना:

राष्ट्रीय आवास बैंक स्वीकार करता है कि वह परामर्शदाता द्वारा इस करार के तहत प्रदान किये गये/तैनात किये गये किसी कर्मी को रोजगार की पेशकश नहीं करेगा एवं उससे जब वह इस करार की अवधि के अंतर्गत है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ हुए इस करार के तहत कार्य के अंतिम निर्दिष्ट कार्य की तिथि से बारह (12) माह तक रोजगार के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

#### 5.0 निक्षपक्षता एवं सद्भाव

##### 5.1 सद्भाव

पक्ष वचन देते हैं कि वे इस संविदा इस संविदा के तहत एक दूसरे के अधिकारों के संबंध में एवं इस संविदा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव से काम करेंगे।

#### 6.0 वचन:

परामर्शदाता इसके अतिरिक्त एतद् द्वारा यह वचन देता है:

- (i) कि परामर्शदाता ने भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक एवं/अथवा कोई अन्य संबंधित प्राधिकरण के सभी अपेक्षित/प्रासंगिक व मौजूदा अनुदेशों/परिपत्रों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जीएफआर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमावली के उपबंधों/प्रासंगिक अनुदेशों जो इस करार के तहत इसके कार्य/प्रचालन के कार्यक्षेत्र एवं परामर्शदाता के तौर पर इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सलाह/सेवाओं में प्रयोज्य हैं, का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं वह ऐसी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है/अनुपालन करेगा।
- (ii) कि परामर्शदाता के पास इस आरएफपी में विस्तार से निर्धारित किए गये कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करने एवं परियोजना का निष्पादन करने की आवश्यक विशेषज्ञता है एवं उसके पास राष्ट्रीय आवास बैंक को दक्ष एवं कारगर

सलाह/सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। वह इस करार के तहत दिये गये कार्य, सम्यक उद्यम एवं व्यावसायिकता व कारोबारी सदाचार के उच्च मानकों के साथ करेगा।

- (iii) कि प्रतिफल के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक का परामर्शदाता होने के कारण, वह (क) इस करार के तहत कार्य के कोई अनुचित निर्वहन एवं/अथवा (ख) नीतिपरक कारोबार एवं व्यावसायिकता के मानदंडों को देखते हुए किसी विकृत आचरण के प्रति जबावदेह होगा।
- (iv) कि संविदागत दायित्वों के कोई अनुचित निर्वहन के मामले में एवं/अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की दृष्टि में प्रदान की गई कोई सलाह/सेवा पूरी तरह से दोषपूर्ण/उपेक्षापूर्ण/अपूर्ण पाई जाती है एवं/अथवा परामर्शदाता द्वारा कोई विकृत आचरण पाया जाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अपने विवेक पर, ऐसी जबावदेही लागू करने का हर अधिकार होगा इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक इसमें वर्णित कुछ भी ध्यान दिये बिना इस करार के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परामर्शदाता को देय पेय रोकना/रखना सहित 15 दिन की पूर्व सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को वास्तविक हानि सिद्ध करने की आवश्यकता बिना राष्ट्रीय आवास बैंक को हुई हानि यदि कोई हो, के लिए उक्त का प्रयोग कर सकता है/समायोजन कर सकता है।
- (v) कि परामर्शदाता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो इस करार के तहत दायित्वों का निर्वहन करते समय परामर्शदाता के हितों से कोई टकराव हो एवं वह कोई सलाह अथवा सेवा प्रदान करते समय हितों के टकराव की किसी भी प्रकार की संभावित घटना को पहले ही राष्ट्रीय आवास बैंक के संज्ञान/जानकारी में लाएगा। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता कार्य के संबंध में इस करार में दिये गये पारिश्रमिक के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा। परामर्शदाता एवं/अथवा उसका कोई सहयोगी ऐसी परामर्शी सेवाएं देने अथवा अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जिनका इस करार के तहत दिये गये दायित्वों के साथ टकराव हो।
- (vi) कि परामर्शदाता ने कोई कार्य के लिए ऐसे किसी को काम पर नहीं रखा है जिससे राष्ट्रीय आवास बैंक के इससे पूर्व अथवा मौजूदा दायित्वों के साथ टकराव हो अथवा जो परामर्शदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक के सर्वोपरि हित में कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में रखे।
- (vii) कि परामर्शदाता सदैव राष्ट्रीय आवास बैंक के हित में काम करेगा एवं सर्वोच्च व्यावसायिकता कर्तव्यनिष्ठा के साथ सलाह/सेवा प्रदान करेगा एवं विधिसम्मत प्रदत्त/गठित कोई जांच निकाय के साथ, परामर्शी संविदा के प्रक्रमण अथव निष्पादन में जांच करने/परामर्शदाता द्वारा संविदागत दायित्वों के निर्वहन से संबंधित कोई अन्य मामले में पूरा सहयोग करेगा।

## 7.0 गंभीरता:

इस करार का प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से लागू करने योग्य है। यदि इस करार का कोई खंड किसी कारण से लागू करने योग्य न हो तो यह अन्य खंडों की प्रवर्तनशीलता को प्रभावित नहीं करेगा।

## 8.0 विवादों का निपटारा

सभी विवाद एवं/अथवा विसंगतियां जो इस करार के संबंध अथवा तत्संबंधी उल्लंघन के सिलसिले में पैदा हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। हालांकि यदि पक्ष अनुचित देरी के बिना उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में समर्थ नहीं है तो उक्त का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (यथा समय-समय पर संशोधित) के अधीन नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा एवं कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एकमात्र यानि 1 (एक) मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति एक पक्ष का दूसरे पक्ष को लिखित रूप में मध्यस्थ के लिए पहली संस्तुति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर संयुक्त रूप से की जाएगी। यदि पक्ष ऐसे एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं होते हैं तो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ वाला मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाएगा। इसके अनुसार तय किया गया मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा एवं पक्षों को बाध्यकारी होगा। पहली घटना में ऐसे मध्यस्थ की सभी लागतें व व्यय पक्ष समान रूप से वहन करेंगे हालांकि जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा।

कुछ भी न होते हुए भी यह स्वीकार किया जाता है कि परामर्शदाता मध्यस्था कार्यवाही के दौरान इस करार के तहत कार्य जारी रखेगा यथा स्थिति जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देशित न किया जाय अथवा जब तक मामला ऐसा न हो कि कार्य जारी रखना संभव न हो जब तक कि मध्यस्थ का निर्णय हासिल न हो।

## 9.0 अधिकार क्षेत्र एवं प्रयोज्य कानून

इस करार से जुड़े सभी विषय सहित यह करार तत्समय प्रवृत्त भारत के कानूनों (मूल एवं प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा नियंत्रित होंगे एवं दिल्ली भारतीय न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

जिसकी की भी गवाही में पक्ष उपरोक्त पहले लिखे गये दिनांक एवं वर्ष को अपने संबंधित नामों में इस संविदा में हस्ताक्षर करने के लिए राजी हुए।

कृते एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से

..... प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

कृते एवं ..... (परामर्शदाता) की ओर से

..... प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

गवाह:

1.

(नाम व पता)

2.

(नाम व पता)

**गोपनीयता-सह-अप्रकटीकरण करार**  
(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में निष्पादित करें)

यह गोपनीयता-सह-अप्रकटीकरण करार, \_\_\_\_\_ से गठित मैसर्स \_\_\_\_\_ जिसका पंजीकृत पता \_\_\_\_\_ में है, (इसके पश्चात 'परामर्शदाता' कहा जाए) जिसके वाक्यांश में जहां भी संदर्भ में इसके उत्तराधिकारी को ऐसी अनुमति दी गयी है व जिसे ऐसे कार्य की अनुमति दी गयी है, शामिल है

**एवं**

राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अधीन स्थपित बैंक, जिसका कार्यालय कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 है, (इसके पश्चात 'एलएचबी' कहा जाए) जिसके वाक्यांश में जहां भी संदर्भ में इसके उत्तराधिकारी को ऐसी अनुमति दी गयी है व जिसे ऐसे कार्य की अनुमति दी गयी है, शामिल है) के बीच दिनांक....., 201..... को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है।

जबकि परामर्शदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा स्तरीय करार दिनांक.....(इसके पश्चात 'एसएलए' के तौर संदर्भित) के अनुसार उनके बीच .....('प्रयोजन') से संबंधित परिचर्चा व बातचीत कर चुके हैं। ऐसी परिचर्चाओं और बातचीत के विषय में यह अपेक्षित है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने व्यापार के कुछ राज अथवा गोपनीय अथवा मालिकाना जानकारी ऐसे कारोबारी संबंध के व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से दूसरे पक्ष को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ विगोपन कर सकता है अथवा प्रदान कर सकता है। पक्षों ने इस करार की शर्तों के अनुसार ऐसे व्यापार के राज एवं गोपनीय व मालिकाना जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह करार संपन्न किया है। यथा इस करार में प्रयुक्त हुआ है मालिकाना जानकारी का विगोपन करने वाला पक्ष (जैसा नीचे परिभाषित है) 'विगोपनकर्ता पक्ष' के तौर पर संदर्भित है एवं इसमें उससे संबद्ध व सहायक कंपनियां भी शामिल होंगी एवं ऐसी मालिकाना जानकारी प्राप्त करने वाला पक्ष 'प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष' के तौर पर संदर्भित है एवं इसमें उससे संबद्ध व सहायक कंपनियां व उसके कर्मि भी शामिल होंगे।

अब यह करार निम्नलिखित गवाही देता है:

1. **मालिकाना जानकारी:** यथा इस करार में प्रयुक्त हुआ है, मालिकाना जानकारी से विगोपनकर्ता पक्ष द्वारा लिखित में उसी रूप में चाहे पत्र द्वारा अथवा उचित रूप से रखे मालिकाना मुहर के प्रयोग द्वारा अथवा प्रसिद्धि से हो, सभी व्यापार के राज अथवा गोपनीय अथवा निर्दिष्ट मालिकाना जानकारी अभिप्रेत है जिसका विगोपनकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को ऐसे व्यापारिक राज अथवा गोपनीय अथवा मालिकाना जानकारी पूर्व में अथवा उस समय विगोपन किया गया है। उपरोक्त में कुछ भी न देखत हुए भी ऐसी सूचना जो विगोपनकर्ता पक्ष ने प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को मौखिक रूप से अथवा दिखाकर विगोपन किया है अथवा जिसका प्रावरण पत्र, मालिका मुहर द्वारा लिखित में अथवा प्रसिद्धि से विगोपन हो, ऐसी स्थिति में मालिका जानकारी समझा जाएगा यदि विगोपनकर्ता पक्ष ऐसे विगोपन के पश्चात 10 (दस) दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को ऐसे विगोपन का वर्णन करते हुए एवं ऐसे मौखिक, देखने वाले अथवा लिखित दस्तावेज का स्थान व तिथि तथा प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों का नाम जिसे ऐसा विगोपन किया गया था, का संदर्भ देते हुए लिखित दस्तावेज अथवा दस्तावेज प्रदान करे।
2. **गोपनीयता:**
  - क. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष या उसके ग्राहकों के बारे में प्राप्त सभी गोपनीय जानकारी गुप्त रहेगी एवं भरोसेमंद समझेगा एवं इस करार के तहत इसकी शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रयोनार्थ एवं जब तक यह इस करार के तहत पक्षों के संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों के समुचित प्रयोग के लिए आवश्यक नहो, के अन्यथा गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।
  - ख. गोपनीय जानकारी शब्द से (तृतीय पक्ष से प्राप्त ऐसी जानकारी जिसे विगोपनकर्ता पक्ष गोपनीय के तौर पर समझने के लिए बाध्य है सहित) सभी लिखित अथवा मौखिक जानकारी अभिप्रेत होगी व शामिल होगी जो (i) विगोपन के समय गोपनीय एवं मौखिक या दिखाने वाले विगोपन के मामले में स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में चिन्हित किए गये हैं अथवा (ii) वह उचित व्यक्ति जिसे परिस्थितियों के अंतर्गत गोपनीय होना माना जाएगा। गोपनीय जानकारी से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तकनीकी डेटा, कार्य प्रणाली, तकनीकी जानकारी, प्रक्रियाएं, डिजाइन, ग्राहक का नाम, संभावित ग्राहक के नाम, ग्राहक की जानकारी विगोपनकर्ता पक्ष की कारोबारी जानकारी भी अभिप्रेत होगी।
  - ग. गोपनीय जानकारी में ऐसी सूचना शामिल नहीं होती है जो:
    - (i) इसके विगोपन के समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है; अथवा
    - (ii) विगोपन के पश्चात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती है; अथवा
    - (iii) प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को इस करार के तहत विगोपन से पूर्व पहले से पता है/के पास पहले से थी; अथवा

- (iv) प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को तीसरे पक्ष, जो गोपनीयता के किसी दायित्व से बाध्य नहीं है, से विगोपित हुआ है; अथवा
- (v) प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा गोपनीय जानकारी का उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित है/विकसित की गई है;
- (vi) विगोपनकर्ता पक्ष की पूर्व सहमति से विगोपित है।
3. **मालिकाना जानकारी का अप्रकटीकरण:** करार के दौरान अथवा इसके नवीनीकरण की अवधि तक प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष करेगा:
- क. केवल उस प्रयोजनार्थ ऐसी मालिकाना जानकारी का उपयोग जिसके लिए इसका विगोपन किया गया था एवं विगोपनकर्ता पक्ष की लिखित प्राधिकार के बिना ऐसी मालिकाना जानकारी का अपने स्वयं के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं करेगा अथवा काम में नहीं लगाएगा।
- ख. मालिकाना जानकारी को तीसरे पक्षों में उसी तरह से रक्षा करना जिस तरह से एवं यथोचित सावधानी से वह उसी महत्व की अपनी स्वयं की गोपनीय जानकारी की रक्षा करता है एवं
- ग. अपने संगठन के भीतर के व्यक्तियों एवं कार्य का निष्पादन, जिसका निष्पादन अन्यथा साधारणतया अथवा नियमित रूप से उसके कर्मचारियों द्वारा किया जाना है, जिसे उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसी मालिकाना जानकारी जानना आवश्यक है एवं जो ऐसी मालिकाना जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए बाध्य है, करने वाले तृतीय पक्ष के उन ठेकेदारों को इस करार के तहत प्राप्त मालिकाना जानकारी का सीमित विगोपन।
4. **दायित्वों की सीमा:** कोई मालिकाना जानकारी की ऐसी जानकारी की निम्नलिखित सीमा के संबंध में उपरोक्त खंड 3 में विनिर्दिष्ट प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष के दायित्व लागू नहीं होंगे एवं प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष के कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होंगे;
- क. विगोपन के समय में आमतौर पर जनता को ज्ञात है अथवा प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष की ओर से किसी गलत कृत्य के बिना आमतौर पर ज्ञात हो जाती है;
- ख. प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष के गोपनीयता के किसी दायित्व के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विगोपनकर्ता का आभारी होने के अतिरिक्त विगोपन के समय पर प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष के पास है:
- ग. विगोपनकर्ता पक्ष जिसके पास ऐसी मालिका जानकारी का विगोपन करने का कानूनी अधिकार है, के अलावा प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष को किसी अन्य स्रोत के विगोपन से ज्ञात हो जाती है।

- घ. मालिकाना जानकारी के बिना संदर्भ या निर्भरता के प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई हो; अथवा
- ड. प्रयोज्य कानूनों अथवा सरकारी विनियमों का अनुपालन करने में प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा विगोपित किया जाना आवश्यक है परंतु शर्त यह है कि प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष विगोपनकर्ता पक्ष को ऐसे विगोपन का पूर्व में लिखित सूचना देगा एवं ऐसे विगोपन के लिए युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।
5. **दस्तावेजों की वापसी:** प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष लिखित में विगोपनकर्ता पक्ष के अनुरोध पर विगोपनकर्ता पक्ष को युक्तियुक्त समय के भीतर सभी आरेखण, दस्तावेज एवं इस करार के अनुसार प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्त मालिकाना जानकारी के अन्य मूल प्रकाशन (एवं उसकी समी प्रतियां एवं प्रतिकृतियां) वापिस करेगा। हर पक्ष यह स्वीकार करता है कि ऐसी स्थिति में, जब वह नियुक्ति, कारोबारी चर्चाओं व बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है अथवा इस करार के समापन की स्थिति में प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता पक्ष दूसरे पक्ष की मालिकाना जानकारी अविश्वसनीय दूसरे पक्ष को वापस कर देगा अथवा दूसरे पक्ष की सहमति से उसे नष्ट कर देगा। हालांकि शर्त यह है कि प्राप्तकर्ता पक्ष अपने सांविधिक, विनियामक, आंतरिक नीति अथवा व्यावसायिक दायित्वों के अनुपालन में उक्त की प्रतियां बनाकर रखेगा।
6. **पत्र व्यवहार:** इस करार के तहत मालिका जानकारी हस्तांतरित करने के अनुरोध करने के लिखित पत्र केवल निम्नलिखित संबंधित पदनामित व्यक्ति (अथवा ऐसा पदनामित व्यक्ति जिसे पक्ष यहां लिखित में समय-समय पर नामोर्दिष्ट कर सकें) को संबोधित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(परामर्शदाता)

7. अवधि: खंड 3 एवं खंड 3 (मालिकाना जानकारी की गोपनीयता एवं अप्रकटीकरण) के अनुसरण में दायित्व एसएसल के अवसान से.....वर्ष की अवधि तक रहेंगे।
8. इस करार के उपबंध पक्षों के कारोबारी सद्भाव की रक्षा के लिए आवश्यक हैं एवं पक्षों द्वारा ऐसे प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त होना माना जाता है। दोनो पक्ष यह बात स्वीकार करते हैं कि इस करार के उल्लंघन से दूसरे पक्ष को अत्यधिक एवं

अपूरणीय क्षति हो सकती है एवं अतः एक पक्ष द्वारा ऐसे उल्लंघन की स्थिति में दूसरा पक्ष समुचित उपाय करने का हकदार होगा जो भी कानून के तहत उपलब्ध हो।

9. इस करार में वर्णित कुछ भी न होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक को एसएलए के तहत परिणाम अथवा प्रदेय के हिस्से के तौर पर एवं जो राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में मामले की अपेक्षा के आधार पर, कोई तीसरी पक्षकार एजेंसी/संस्थान, द्वारा आगे कोई अध्ययन/विश्लेषण आवश्यक है, परामर्शदाता द्वारा आपूर्तित/प्रस्तुत कोई रिपोर्ट/निष्कर्ष/दस्तावेज, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे तीसरी पक्षकार एजेंसी/संस्थान के साथ ऐसे अध्ययन/विश्लेषण करने के लिए साझा की जा सकती है एवं उक्त के लिए परामर्शदाता की पूर्व सहित की आवश्यकता नहीं होगी। परामर्शदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को आपूर्तित/प्रस्तुत ऐसी रिपोर्ट/निष्कर्ष/दस्तावेज अनन्य रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक की संपत्ति बन जाएंगे एवं उस रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक प्राप्तकर्ता पक्ष होने के कारण ऐसी रिपोर्ट/निष्कर्ष/दस्तावे अथवा उनकी विषयवस्तु के विगोपन से कोई प्रतिबंध से बाध्य नहीं होगा।
10. यह करार भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगा व नियंत्रित होना समझा जाएगा एवं दिल्ली में विद्यमान न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। यह स्वीकार किया जाता है कि इस करार से उत्पन्न अथवा छेड़ने से कोई विवाद अथवा मतभेदों का यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान नहीं होता है तो दोनों पक्षों के बीच निष्पादित एसएलए के खंड.....के अनुसार मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

## 11. प्रकीर्ण

- क. इस करार में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में आगे के करार/संशोधन से, के सिवाय पूरे अथवा आंशिक रूप से संशोधन नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता अथवा निस्तारण नहीं किया जा सकता है।
- ख. यह करार पक्षों को बाध्यकारी होगा एवं पक्षों के हित एवं इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी एवं कार्य भी शामिल हैं, में लागू होगा।
- ग. यह करार भारत में प्रचलित कानूनों के अनुसार माना जाएगा एवं इसी तरह उसकी व्याख्या की जाएगी।

जिसकी गवाही में पक्ष सहमत हैं, पक्षों ने स्वीकार किया है एवं माना है एवं इसमें उपरोक्त उल्लिखित दिन, माह व वर्ष को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया है।

कृते \_\_\_\_\_

कृते राष्ट्रीय आवास बैंक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

नाम:

पदनाम:

पदनाम:

स्थान:

स्थान:

तिथि:

तिथि:

गवाह:

1.

2.

\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।